

#### असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167] No. 167] नई दिल्ली, सोमवार, जून 17, 2013/आषाढ़ 27, 1935

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 17, 2013/ASADHA 27, 1935

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2013

## दुरसंचार टैरिफ (पचपनवां संशोधन) आदेश, 2013

(2013 का 03)

संख्या—301—10/2012—एफएण्डईए.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप—धारा (1) के खण्ड (बी) उप—खण्ड (i) के साथ पिठत उक्त धारा की उप—धारा (2) के अधीन प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, नामतः :—

- 1. (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (पचपनवां संशोधन) आदेश, 2013 कहा जाएगा।
  - (2) यह आदेश, 01 जुलाई, 2013 से प्रवृत्त होगा ।
- दरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 (जिसे आगे मृल टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड-2 में -
- (क) उप-खंड-(डी) के पश्चात, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः
  - "डीए. "कॉम्बो वाउचर" का अभिप्राय एक पेपर वाउचर अथवा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर से है, जिसे सक्रियण किए जाने पर उपभोक्ता के टैरिफ प्लान में एक से अधिक मदों में 90 दिनों तक की अविध के लिए परिवर्तन आ जाता है तथा उपभोक्ता के प्रीपेड खाते में मौद्रिक मूल्य जमा हो जाता है";
- (ख) विद्यमान उप-खंड (डीडी) को उप-खंड (डीबी) के रूप में पून:संख्यांकित किया जाएगा;
- (ग) उप-खंड (एल) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः
  - ''एलए. ''रोमिंग टैरिफ प्लान'' या 'आरटीपी' से अभिप्राय, उस टैरिफ प्लान से है, जिसमें उपभोक्ता के देश के अंदर स्थान परिवर्तन के फलस्वरूप लोकल तथा लंबी दूरी (अंतर–सर्कल) में आउटगोइंग वॉयस कॉल्स एवं आउटगोइंग एसएमएस के लिए प्रभार में कोई परिवर्तन नहीं होगा । ''

"एलबी. "रोमिंग टैरिफ प्लान—एफआर" या 'आरटीपी—एफआर' से अभिप्राय, उस आरटीपी से है, जिसमें, सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार फिक्स्ड प्रभार, यदि कोई हो का भुगतान करने पर, राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान इनकमिंग वॉयस कॉल्स पर कोई प्रभार नहीं होगा ";

- (घ) उप—खंड (एम) के पश्चात्, निम्नलिखित उप—खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः
  ''एमए. "विशेष टैरिफ वाउचर" का अभिप्राय ऐसे पेपर अथवा इलैक्ट्रॉनिक वाउचर से है, जिसे सक्रियण किए जाने पर सीमित अथवा असीमित वॉयस कॉलों, एसएमएस अथवा डाटा के संबंध में अधिकतम 90 दिन के लिए उपभोक्ता के टैरिफ प्लान में लागू टैरिफ की एक अथवा अधिक मदें बदली जा सकती हैं, परन्तु कोई मौद्रिक मृल्य प्रदान नहीं करता है।''
- उ. मूल टैरिफ आदेश के खंड—6 के उप—खंड (IX) के पश्चात्, निम्निलखित उप—खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः
  "(X) प्रत्येक सेवा प्रदाता, अपने प्री—पेड और पोस्ट—पेड उपभोक्ताओं को रोमिंग टैरिफ प्लान तथा रोमिंग टैरिफ प्लान—एफआर की पेशकश करेगा।";
- 4. मूल टैरिफ आदेश की अनुसूची—II की मद (14) की उप—मद (14क) तथा उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप—मदों एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"अनुसूची-II
सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवाएं (सीएमटीएस)

| म्द   | टैरिफ   |
|---|---|
| 74  | ८१२५)   |
| " (14.क) राष्ट्रीय रोमिंग   |   |
| (14.क. i ) राष्ट्रीय रोमिंग के लिए फिक्स्ड प्रभार   | शून्य<br>बशर्ते कि विशेष टैरिफ वाउचर एवं कॉम्बों वाउचर की<br>अनुमति होगी तथा आरटीपी—एफआर की स्थिति में,<br>फिक्स्डि प्रभार आस्थिगित (फॉर्बेरन्स) के तहत होगा। |
| (14.क. ii) राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग लोकल वॉयस कॉल के<br>लिए प्रभार                              | 1.00 / – रुपए प्रति मिनट की उच्चतम सीमा   |
| (14.क. iii) राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग लंबी दूरी<br>(अंतर—सर्कल) वॉयस कॉल के लिए प्रभार           | 1.50 / – रुपए प्रति मिनट की उच्चतम सीमा   |
| (14.क. iV) राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान इनकमिंग वॉयस कॉल के लिए<br>प्रभार                                    | 0.75 / – रुपए प्रति मिनट की उच्चतम सीमा   |
| (14.क. <b>V</b> ) राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान लघु संदेश सेवाओं (एसएमएस) के<br>लिए प्रभार                    | 1.00 / – रुपए प्रति एसएमएस की उच्चतम सीमा   |
| (14.क. <b>Vi</b> ) राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान लंबी दूरी (अंतर—सर्कल) लघु<br>संदेश सेवाओं के लिए प्रभार     | 1.50 / – रुपए प्रति एसएमएस की उच्चतम सीमा   |
| (14.क. Vii) राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान इनकमिंग लघु संदेश सेवाओं<br>(एसएमएस) के लिए प्रभार                  | शून्य   |
| (14.क. <b>Viii</b> ) राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान अधिभार   | शून्य   |
| (14.कख) अंतरराष्ट्रीय रोमिंग  | आस्थगित (फॉर्बेरन्स)  |
| (14.कग)<br>ऊपर उप—मद (14.क) एवं (14.कख) के अंतर्गत न आने वाली परन्तु<br>रोमिंग से संबंधित अन्य कोई भी मद। | आस्थगित (फॉर्बेरन्स)."  |

मनीष सिन्हा, सलाहकार (एफएण्डईए) [विज्ञापन—III/4/असा./142/13/]

टिप्पणी 1 : दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 09 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए:—

| संशोधन संख्या | अधिसूचना संख्या और तारीख                         |
|---------------|--|
| पहला          | 301—4 / 99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.1999       |
| दूसरा         | 301—4 / 99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999       |
| तीसरा         | 301—4 / 99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999       |
| चौथा          | 301—4 / 99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.7.1999       |
| 5वां          | 301—4 / 99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 17.9.1999       |
| 6वां          | 301—4 / 99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.9.1999       |
| 7वां          | 301-8 / 2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.2000     |
| 8वां          | 301—8 / 2000—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.7.2000     |
| 9वां          | 301—8 / 2000—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.8.2000     |
| 10वां         | 306—1 / 99—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 9.11.2000       |
| 11वां         | 310—1(5) / ट्राई—2000 दिनांक 25.1.2001           |
| 12वां         | 301—9 / 2000—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.1.2001     |
| 13वां         | 303-4 / ट्राई-2001 दिनांक 1.5.2001               |
| 14वां         | 306—2 / ट्राई—2001 दिनांक 24.5.2001              |
| 15वां         | 310—1(5) / ट्राई—2000 दिनांक 20.7.2001           |
| 16वां         | 310—5(17) / 2001—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.8.2001 |
| 17वां         | 301 / 2 / 2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 22.1.2002   |
| 18वां         | 303 / 3 / 2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.1.2002   |
| 19वां         | 303 / 3 / 2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.2.2002   |
| 20वां         | 312—7 / 2001—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.3.2002     |
| 21वां         | 301—6 / 2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 13.6.2002     |
| 22वां         | 312—5 / 2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 4.7.2002      |
| 23वां         | 303 / 8 / 2002—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 6.9.2002    |
| 24वां         | 306—2 / 2003—आर्थिक दिनांक 24.1.2003             |
| 25वां         | 306—2 / 2003—आर्थिक दिनांक 12.3.2003             |
| 26वां         | 306—2 / 2003—आर्थिक दिनांक 27.3.2003             |
| 27वां         | 303 / 6 / 2003—ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.4.2003   |
| 28वां         | 301—51 / 2003—आर्थिक दिनांक 5.11.2003            |
| 29वां         | 301—56 / 2003—आर्थिक दिनांक 3.12.2003            |
| 30वां         | 301—4 / 2004 (आर्थिक) दिनांक 16.1.2004           |
| 31वां         | 301—2 / 2004—आर्थिक दिनांक 7.7.2004              |
| 32वां         | 301—37 / 2004—आर्थिक दिनांक 7.10.2004            |
| 33वां         | 301—31 / 2004—आर्थिक दिनांक 8.12.2004            |
| 34वां         | 310—3(1) / 2003—आर्थिक दिनांक 11.3.2005          |

| 35वा  | 310—3(1) / 2003—आर्थिक दिनांक 31.3.2005  |
|-------|--|
| 36वां | 312—7 / 2003—आर्थिक दिनांक 21.4.2005     |
| 37वां | 312-7 / 2003-आर्थिक दिनांक 2.5.2005      |
| 38वां | 312-7 / 2003-आर्थिक दिनांक 2.6.2005      |
| 39वां | 310—3(1) / 2003—आर्थिक दिनांक 8.9.2005   |
| 40वां | 310—3(1) / 2003—आर्थिक दिनांक 16.9.2005  |
| 41वां | 310—3(1) / 2003—आर्थिक दिनांक 29.11.2005 |
| 42वां | 301-34 / 2005-आर्थिक दिनांक 7.3.2006     |
| 43वां | 301-2/2006-आर्थिक दिनांक 21.3.2006       |
| 44वां | 301—34 / 2006—आर्थिक दिनांक 24.1.2007    |
| 45वां | 301—18 / 2007—आर्थिक दिनांक 5.6.2007     |
| 46वां | 301—36 / 2007—आर्थिक दिनांक 24.1.2008    |
| 47वां | 301—14 / 2008—आर्थिक दिनांक 17.3.2008    |
| 48वां | 301—31 / 2007—आर्थिक दिनांक 01.9.2008    |
| 49वां | 301—25 / 2009—ईआर दिनांक 20.11.2009      |
| 50वां | 301—24 / 2012—ईआर दिनांक 19.04.2012      |
| 51वां | 301—26 / 2011—ईआर दिनांक 20.04.2012      |
| 52वां | 301—41 / 2012—एफएण्डईए दिनांक 19.09.2012 |
| 53वां | 301—39 / 2012—एफएण्डईए दिनांक 01.10.2012 |
| 54वां | 301—59 / 2012—एफएण्डईए दिनांक 05.11.2012 |
|       |  |

टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (पचपनवां संशोधन) आदेश, 2013 के लिए उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

## व्याख्यात्मक ज्ञापन

## क. परिचय एवं पृष्ठभूमि

1. राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए टैरिफ को दूरसंचार टैरिफ (44वां संशोधन) आदेश, 2007 (जिसे इसमें आगे टीटीओ (44वां संशोधन), 2007 कहा गया है) द्वारा यथा—संशोधित दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 की अनुसूची II के खंड 14 (क) के तहत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें आगे प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा निर्धारित उच्चतम टैरिफ के रूप में विनियमित किया गया था। टीटीओ (44वां संशोधन), 2007 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार थीं :-

सारणी 1: टीटीओ (44वां संशोधन), 2007 की मुख्य विशेषताएं

| मद                           | टैरिफ                              |
|------------------------------|------------------------------------|
| मासिक एक्सेस शुल्क           | शून्य                              |
| आउटगोइंग लोकल शुल्क          | 1.40 रु. प्रति मिनट की उच्चतम सीमा |
| आउटगोइंग एसटीडी शुल्क        | 2.40 रु. प्रति मिनट की उच्चतम सीमा |
| इनकमिंग कॉल्स                | 1.75 रु. प्रति मिनट की उच्चतम सीमा |
| इनकमिंग एसएमएस शुल्क         | शून्य                              |
| रोमिंग से संबंधित अन्य मामले | आस्थगित (फॉर्बेरन्स)               |

- 2. राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए टैरिफ निर्धारित करने वाला टीटीओ (44वां संशोधन), 2007 जारी करने के बाद, कुछ लागत घटकों, जो राष्ट्रीय रोमिंग शुल्क निर्धारण के घटक थे, में बदलाव हुए हैं। विशेषकर एक्सेस घाटा शुल्क (एडीसी) व्यवस्था को दिनांक 27.03.2008 के दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग शुल्क (नौवां संशोधन), विनियम, 2008 के जिए, समाप्त किया गया। इसके अलावा, लोकल और राष्ट्रीय लंबी दूरी की वॉयस कॉल्स के लिए समाप्न प्रभार को दूरसंचार अंतःसंयोजन उपयोग शुल्क (दसवां संशोधन), विनियम, 2009 के द्वारा 0.30 रु० प्रति मिनट से घटाकर 0.20 रु० प्रति मिनट किया गया था। इसके अतिरिक्त अंतःसंयोजन उपयोग शुल्क (आईयूसी) तय करने के लिए लागत निर्धारित करते समय यह नोट किया गया था कि सेवा प्रदाता द्वारा स्थापित नेटवर्क घटकों की लागत में समय बीतने और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, निरंतर कमी आ रही थी। इसी दौरान, उपयोग के मिनटों (एमओयू) में लगातार वृद्धि हो रही थी, जो इस बात के सूचक थे कि रोमिंग के लिए मौजूदा वृद्धिशील लागत वर्ष 2006—07 में प्रचलित रोमिंग की वृद्धिशील लागतों के मुकाबले कम होंगी। संक्षेप में, राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए शुल्क के कई लागत घटकों में वर्ष 2007, जब राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए कॉल शुल्क के लिए उच्चतम सीमा अंतिम बार निर्धारित की गई थी, से कमी देखी गई। उपरोक्त के आलोक में, राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के टैरिफ की समीक्षा करने के लिए कार्रवाई शुरू करना जरूरी समझा गया था। यह समीक्षा करने का दूसरा कारण राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी)—2012 में उल्लिखित 'एक राष्ट्र—निःशुल्क रोमिंग के लिए काम करना' के उद्देश्य को हासिल करना था।
- 3. समीक्षा कार्य की प्रस्तावना के रूप में, 26.10.2012 को वायरलैस एक्सेस सेवा प्रदाताओं से निर्धारित फार्मेट में राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के संबंध में उपयोग, आय और लागत से संबंधित सूचना, भादूविप्रा को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए टैरिफ के विस्तृत फ्रेमवर्क पर हितधारकों से सूचना प्राप्त करने के लिए भाद्विप्रा ने दिनांक 20.12.2012 को 'राष्ट्रीय रोमिंग के लिए टैरिफ की समीक्षा पर पूर्व-परामर्श पत्र' जारी किया था।
- 4. पूर्व-परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए टैरिफ के विभिन्न पहलुओं के बारे में हितधारकों की राय जानने के लिए 'राष्ट्रीय रोमिंग के टैरिफ की समीक्षा' पर एक विस्तृत परामर्श पत्र (दिनांक 25.02.2013 को 2/2013) जारी किया गया। हितधारकों द्वारा 18 मार्च, 2013 तक लिखित में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की जानी थी। कुछ हितधारकों के अनुरोध पर, लिखित टिप्पणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 5 अप्रैल, 2013 तक के लिए बढ़ा दिया गया। भारतीय सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन (सीओएआई), दस दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी), तीन उपभोक्ता संगठनों और दो व्यक्तियों से लिखित टिप्पणियां प्राप्त हुई। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां और जवाबी—टिप्पणियां, भादूविप्रा की वेबसाइट WWW.trai.gov.in पर प्रदर्शित की गई। दिनांक 07.05.2013 को दिल्ली में हितधारकों के साथ खुले मंच पर व्यापक विचार—विमर्श किया गया। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों और उन पर हितधारकों के सुझावों की अनुवर्त्ती पैराओं में जांच की गई है।

## ख. परामर्श पत्र में उठाए गए प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण

- 5. 'राष्ट्रीय रोमिंग के लिए टैरिफ की समीक्षा' पर परामर्श पत्र में प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए टैरिफ को विनियमित करने हेतू निम्नलिखित विस्तृत वैकल्पिक प्रस्तावों पर हितधारकों के सुझाव मांगे थे:-
  - (i) राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए टैरिफ आस्थगित (फॉर्बेरन्स) रखे जाएं।
  - (ii) राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए उच्चतम टैरिफ में मौजूदा लागतों के अनुरूप कमी की जानी चाहिए।
  - (iii) राष्ट्रीय रोमिंग सेवा में टैरिफ होम सेवा क्षेत्र के टैरिफ के बराबर होने चाहिए राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए होम प्राइस रूल (एचपीआर)।
    प्रकार—1: राष्ट्रीय रोमिंग पर इनकमिंग कॉल्स के टैरिफ रोमर के लिए शून्य किए जाने चाहिए और लागत कॉलिंग पार्टी से वसूली जानी चाहिए।
    प्रकार—2 रोमर के लिए केवल इनकमिंग कॉल्स नि:शुल्क हो : राष्ट्रीय रोमिंग पर इनकमिंग कॉल्स के लिए टैरिफ शून्य किए जाने चाहिए और लागत, राष्ट्रीय रोमिंग पर आउटगोइंग कॉल्स के टैरिफ से वसूली जानी चाहिए।
- 6. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और सुचना के आधार पर इन वैकल्पिक प्रस्तावों का विश्लेषण नीचे दिया गया है।

## राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए टैरिफ आस्थगित (फॉर्बेरन्स) रखे जाने चाहिए

7. अधिकांश एक्सेस सेवा प्रदाताओं और उनके एक उद्योग एसोसिएशन ने राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के टैरिफ को आस्थिगित (फॉर्बेरन्स) के तहत छोड़ने के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने यह दलील दी की कि भारत में राष्ट्रीय रोमिंग सेवा में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है; रोमिंग टैरिफ, 2007 में भादूविप्रा द्वारा निर्धारित उच्चतम टैरिफ से पहले ही काफी कम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक सेवा क्षेत्र में 6–9 सेवा प्रदाताओं की उपस्थिति, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सेवा के साथ मिलकर बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। दूसरी ओर, कुछ हितधारकों, जिनमें एक प्रमुख सेवा प्रदाता भी शामिल है, ने आस्थिगत (फॉर्बेरन्स) के तहत राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के टैरिफ को छोड़ने के विपक्ष में अपना मत व्यक्त किया क्योंकि होम टैरिफ और रोम टैरिफ के बीच अभी भी बड़ा अंतर है।

- 8. परामर्श पत्र में किए गए वर्णन के अनुसार, उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तावित दूरसंचार सेवाओं के बुके को निम्नलिखित दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:—
  - (i) प्रमुख सेवाएं : यथा होम सेवा क्षेत्र में वॉयस कॉल्स और एसएमएस ।
  - (ii) आलसो—ऑन—ऑफर सेवाएं : यथा राष्ट्रीय रोमिंग सेवा, अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सेवा और अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं। कोई भी एकल मोबाइल उपभोक्ता किसी विशेष सेवा प्रदाता का चुनाव करने से पहले, प्रमुख सेवाओं के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तावित टैरिफ की ध्यानपूर्वक जांच करता है। प्रमुख सेवाओं के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) के बीच भारी मूल्य प्रतिस्पर्धा है। इसके परिणामस्वरूप, प्रमुख सेवाओं के लिए बाजार में भारी प्रतिस्पर्धा है। मगर 'आलसो—ऑन—ऑफर सेवाओं' के मामले में ऐसा नहीं है, जिन्हें उपभोक्ता बुके के एक भाग के रूप में प्राप्त करता है। आलसो—ऑन—ऑफर सेवाओं जैसे राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए उपभोक्ता एक मायने में टीएसपी से बंधा होता है, जिससे उसने प्रमुख सेवाएं प्राप्त की हैं। 'आलसो—ऑन—ऑफर सेवाओं' के लिए सब्सक्रिप्शन की यह विशेषता, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध विकल्पों और एक सेवा प्रदाता से दूसरे सेवा प्रदाता के पास जाने के उसके अधिकार पर अंकुश लगाती है। अनुभवजन्य साक्ष्य भी यह दर्शाते हैं कि यद्यपि प्रमुख सेवाओं के टैरिफ वायरलैस बाजार में कंपनियों की संख्या में परिवर्तन के अनुसार बदलते रहते हैं, परंतु 'आलसो—ऑन—ऑफर सेवाओं' के टैरिफ ऐसे बदलावों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं। सेवा प्रदाता आमतौर पर राष्ट्रीय रोमिंग के टैरिफ होम सेवा क्षेत्र के टैरिफ की तुलना में अधिक रखते हैं।
- 9. हितधारकों ने यह तर्क भी दिया है कि राष्ट्रीय रोमिंग के टैरिफ निर्धारित उच्चतम सीमा से काफी कम हैं और इस आधार पर यह कारण भी दिया है कि बाजार में जोरदार प्रतिस्पर्धा है। प्राधिकरण नोट करता है कि हालांकि यह सच है कि राष्ट्रीय रोमिंग के टैरिफ निर्धारित उच्चतम सीमा से काफी कम हैं, यह विशेषता काफी हद तक अंतिम बार निर्धारित की गई उच्चतम सीमा के बाद से लागतों और शुल्कों में आई कमी का परिणाम है। राष्ट्रीय रोमिंग टैरिफ की समीक्षा शुरू करने के प्रमुख कारणों में से, इस तथ्य की पहचान एक कारण के रूप में की गई है।
- 10. होम सेवा क्षेत्र में वॉयस कॉल्स और एसएमएस, जैसी प्रमुख सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में विनियामक आस्थिगित (फॉर्बेरन्स), पिछले दशक के दौरान, भारतीय दूरसंचार के उल्लेखनीय विकास का महत्वपूर्ण कारक रहा है। बहरहाल, यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए विनियामक आस्थिगित (फॉर्बेरन्स) के प्रतिमान एक जैसे परिणाम प्राप्त करें क्योंकि बाजार भिन्न हैं और यकीनन रोमिंग सेवाओं का बाजार कम प्रतिस्पर्धी भी है। उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के दृष्टिगत, प्राधिकरण ने कुछ समय के लिए, राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए पूर्ण विनियामक आस्थिगित (फॉर्बेरन्स) को नहीं अपनाने का निश्चय किया है, जैसा कि मोबाइल होम टैरिफ के मामले में किया गया है।

## राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए उच्चतम टैरिफ में मौजूदा लागतों के अनुरूप कमी की जानी चाहिए

- 11. राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए, टैरिफ का विनियमन टीटीओ (44वां संशोधन), 2007 के द्वारा निर्धारित उच्चतम टैरिफ के रूप में किया जा रहा था। राष्ट्रीय रोमिंग पर अलग—अलग प्रकार की वॉयस कॉल्स के लिए उच्चतम टैरिफ निकालने हेतु निम्नलिखित लागत घटकों का प्रयोग किया गया था:—
  - (i) प्रारंभिक शुल्क।
  - अंतःसंयोजन उपयोग शुल्क (आईयुसी) यथा समापन शुल्क, कैरिज शुल्क और एक्सेस घाटा शुल्क (एडीसी) ।
  - (iii) रोमिंग के लिए वृद्धिशील लागत।
- 12. भादूविप्रा के दिनांक 26.10.2012 के पत्र द्वारा निर्धारित फार्मेट में, वायरलैस सेवा प्रदाताओं द्वारा राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के संबंध में उपयोग और आय के बारे में प्रस्तुत सूचना के आधार पर, प्राधिकरण ने 0.10 रु0 प्रति मिनट के रूप में वर्तमान लागतों पर रोमिंग के लिए वृद्धिशील लागत अनुमानित की है। राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए वृद्धिशील लागत अनुमानों की गणना का सार ''अनुबंध'' के रूप में संलग्न है।

## राष्ट्रीय रोमिंग पर आउटगोइंग कॉल्स के लिए उच्चतम टैरिफ

- 13. 2006—07 में की गई रोमिंग कॉल्स के लिए उच्चतम टैरिफ की गणना करने की प्रक्रिया में प्रारंभिक कॉल्स के मामले में किए गए कार्य को समापन कॉल के लिए किए गए कार्य के समतुल्य माना गया था। मौजूदा परामर्श के दौरान, हितधारकों ने यह तर्क रखा है कि प्रारंभिक शुल्क विनियामक आस्थिगित (फॉर्बेरन्स) के अधीन है और कॉल प्रारंभ करने की लागत को कॉल समाप्त करने की लागत के बराबर नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि प्रारंभ करने की लागत में उपभोक्ता प्राप्त करने और अन्य विपणन लागतें शामिल होनी चाहिए, जो समापन कॉल की लागत में शामिल नहीं की गई हैं।
- 14. इस तथ्य के आलोक में कि आरंभन शुल्क आस्थिगित (फॉर्बेरन्स) के अधीन है, प्राधिकरण का मत है कि 2006–07 की पिछली समीक्षा के दौरान, अपनाए गए अनुमानों के आधार पर राष्ट्रीय रोमिंग पर आउटगोइंग कॉल्स के लिए टैरिफ की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के असंगत परिणाम हो सकते हैं, जो बाजार में प्रचलित वास्तविक स्थिति के प्रतिकूल

होंगे। दिनांक 25.02.2013 के परामर्श पत्र संख्या 2/2013 में, प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रोमिंग पर आउटगोइंग लोकल कॉल्स और आउटगोइंग एसटीडी कॉल्स के लिए प्रचलित टैरिफ क्रमशः 1 रू० प्रति मिनट और 1.50 रू० प्रति मिनट आंका है। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि टीटीओ (44वां संशोधन), 2007 के द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा आउटगोइंग लोकल कॉल्स के लिए 1.40 रू० प्रति मिनट और आउटगोइंग एसटीडी कॉल्स के लिए 2.40 रू० प्रति मिनट थी। अतः प्राधिकरण ने यह निश्चय किया है कि राष्ट्रीय रोमिंग पर आउटगोइंग लोकल कॉल्स और आउटगोइंग एसटीडी कॉल्स के लिए टैरिफ की उच्चतम सीमा को कम किया जाएगा और इसे क्रमशः आउटगोइंग लोकल कॉल और आउटगोइंग एसटीडी कॉल के लिए राष्ट्रीय रोमिंग पर प्रचलित टैरिफ अर्थात् 1 रू० प्रति मिनट और 1.50 रू० प्रति मिनट के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।

## राष्ट्रीय रोमिंग पर इनकमिंग कॉल्स के लिए उच्चतम सीमा

15. किसी आउटगोइंग कॉल से भिन्न, राष्ट्रीय रोमिंग पर इनकिमंग कॉल के मामले में प्रारंभिक प्रभार और समापन प्रभार रोमिंग उपभोक्ता से वसूली जाने वाली लागत के घटक नहीं हैं । परामर्श पत्र (2/2013) में की गई चर्चा के अनुसार, राष्ट्रीय रोमिंग वाले उपभोक्ता के लिए इनकिमंग कॉल के मामले में, सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ता से केवल दो लागत घटकों अर्थात् कैरिज प्रभार व रोमिंग के लिए वृद्धिशील लागत, इन दोनों का आसानी से निर्धारण हो जाता है, की वसूली की जानी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रोमिंग के समय इनकिमंग कॉल्स पर लागत आधारित उच्चतम सीमा का यथोचित अनुमान लगाया जा सकता है, और रोमिंग कॉल्स से प्रभार हटाने के कारण दूरसंचार बाजार पर पड़ने वाले संभावित विघटनकारी परिणामों (इस पर अनुवर्ती विश्लेषण में विस्तार से चर्चा की गई है), को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रोमिंग पर इनकिमंग कॉल्स के लिए लागत आधारित उच्चतम टैरिफ निर्धारित करने का विनिश्चय किया है। दूरसंचार अंतःसंयोजन एक्सेस शुल्क, 2003 के अनुसार, कैरिज शुल्क पर 0.65 रु० प्रति मिनट की उच्चतम सीमा लगाई गई है और रोमिंग के लिए वृद्धिशील लागत 0.10 रु० प्रति मिनट आंकी गई है; तदनुसार, प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रोमिंग में इनकिमंग कॉल पर 0.75 रु० प्रति मिनट की उच्चतम सीमा निर्धारित की है।

## राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के टैरिफ, होम सेवा क्षेत्र के टैरिफ के बराबर होने चाहिए

- 16. राष्ट्रीय रोमिंग के लिए टैरिफ का विनियमन करने हेतु तीसरा संभावित प्रस्ताव होम प्राइस रूल (एचपीआर) व्यवस्था द्वारा निर्धारित करना है। एचपीआर की अवधारणा एनटीपी, 2012 में परिकल्पित नीति परिदृश्य और पूरे देश में एक—राष्ट्र निःशुल्क रोमिंग की स्थिति की ओर बढ़ने के घोषित उद्देश्य के सबसे करीब है। परामर्श पत्र में प्रस्तावित एचपीआर व्यवस्था के अनुसार, राष्ट्रीय रोमिंग पर इनकिमंग कॉल्स निःशुल्क होगी, जबिक राष्ट्रीय रोमिंग पर आउटगोइंग कॉल्स / एसएमएस के लिए यथा—लागू टैरिफ प्रभारित किए जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की व्यवहार्यता की नीचे जांच की गई है।
- 17. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश एक्सेस सेवा प्रदाता राष्ट्रीय रोमिंग सेवा में एचपीआर के पक्ष में नहीं हैं। हितधारकों ने उस व्यवस्था का कड़ा विरोध किया है, जिसमें राष्ट्रीय रोमिंग पर इनकिमंग कॉल्स निःशुल्क हो जाएंगी।

## राष्ट्रीय रोमिंग पर निःशुल्क इनकमिंग कॉल्स

- 18. यह तथ्य कि टीएसपी के नेटवर्क पर समाप्त होने वाली इनकिमंग कॉल्स के संबंध में, उनके लिए इसमें महत्वपूर्ण लागत शामिल होती है, को दिनांक 25.02.2013 को जारी किए गए परामर्श पत्र में पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। सामान्य मामले में, रोमिंग पर इनकिमंग कॉल्स के लिए शुल्क को हटाने से टीएसपी द्वारा होम सेवा क्षेत्र से विजिटिड सेवा क्षेत्र तक कॉल को ले जाने में किए गए कार्य के लिए शुल्क की वसूली नहीं हो सकेगी। वस्तुतः परामर्श पत्र में राष्ट्रीय रोमिंग के लिए मांग की कीमत लोच को शामिल करके और शामिल किए बगैर एचपीआर (निःशुल्क इनकिमंग कॉल्स सिहत) के वित्तीय प्रभाव का विश्लेषण शामिल किया गया था। अब, हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय रोमिंग पर इनकिमंग कॉल्स के लिए शुल्क को हटाने से अंतरपणन अवसर उत्पन्न होंगे, जिनके कारण बाजार में सिम<sup>1</sup> संचलन का प्रचलन हो सकता है, जिसके बाजार को नुकसान पहुंचाने वाले संभावित प्रभाव हो सकते हैं।
- 19. नीचे दिया गया उदाहरण, इसमें निहित समस्या को स्पष्ट करता है। आइए, हम किसी विशेष लाइसेंस सेवा क्षेत्र में कार्यरत प्रवासी मजदूर का मामला लेते हैं, जो दूसरे लाइसेंस सेवा क्षेत्र में रह रहे, अपने परिवार को कई बार एसटीडी कॉल करता है। यदि राष्ट्रीय रोमिंग पर इनकिमंग कॉल्स निःशुल्क कर दी जाएंगी तो, उसे लाइसेंस सेवा क्षेत्र, जहां वह कार्यरत है, से सिम कार्ड खरीदने और इसे दूसरे लाइसेंस सेवा क्षेत्र में रह रहे अपने परिवार को देने के लिए बढ़ावा मिलेगा। इस स्थिति में कॉलिंग पार्टी (अर्थात् प्रवासी मजदूर) एसटीडी कॉल के स्थान पर, लोकल कॉल के लिए भुगतान करके पैसे की बचत करेगा और जिस पार्टी को कॉल की गई है (अर्थात् प्रवासी मजदूर का परिवार), उसे कॉल रिसीव करने के लिए भुगतान नहीं करना होगा क्योंकि राष्ट्रीय रोमिंग पर इनकिमेंग कॉल्स निःशुल्क हो जाएंगी। परिणामस्वरूप, इस तरह के अंतरपणन अवसर का फायदा उठाने के लिए कई उपभोक्ता सिम को लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में इधर से उधर ले जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और टीएसपी को आय की हानि होगी क्योंकि वे रोमिंग के लिए कैरिज लागत और वृद्धिशील लागत वसूल करने में समर्थ नहीं होंगे।

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सिम 'सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडयूल' का संक्षिप्त नाम है।

- 20. एक्सेस सेवा प्रदाताओं ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि ऐसी व्यवस्था, जिसमें रोमिंग में रहते हुए इनकमिंग कॉल प्रभार रिहत हो, राष्ट्रीय लंबी दूरी ऑपरेटरों (एनएलडीओ) की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। राष्ट्रीय रोमिंग में रहते हुए, इनकमिंग कॉल प्रभारों को हटाए जाने पर, टीएसपी द्वारा कैरिज प्रभार, जो घरेलू सेवा क्षेत्र से विजिटिड क्षेत्र में कॉल को ले जाने का प्रभार होता है, वसूल कर इन्हें एनएलडीओ को नहीं भेजा जा सकेगा। इससे एनएलडीओ की दीर्घाविध धारणीयता प्रभावित होगी।
- 21. प्राधिकरण ने इनकिमंग रोमिंग कॉल प्रभारों को हटाने के मुद्दे पर हितधारकों की टिप्पणियों पर ध्यानपर्वूक विचार किया है। प्राधिकरण ने ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत लागतों की गैर—वसूली के कारण टीएसपी को होने वाली प्रत्यक्ष राजस्व हानियों के मुद्दे को पहले उठाया है। ऐसी हानियों को संभवतः राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं हेतु मांग के मूल्य लचीलेपन द्वारा कम किया जा सकता है, तथापि प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐसा कदम उठाने का अधिक गंभीर प्रभाव यह होगा कि यह विकृति की ओर ले जाने वाले उपभोक्ता व्यवहार को उत्पन्न कर सकता है और इससे बाजार में दूरसंचार सेवाओं पर अनैच्छिक विकारी प्रभाव होगा। ये प्रभाव स्वयं को ऐसी किसी भी प्रणाली में प्रकट करेंगे, जिसमें कि इनकिमंग रोमिंग कॉल बिना किसी प्रभार के किए जाएंगे। अतः इंगित कठिनाइयां, उपर्युक्त पैरा—4 में वर्णित प्रस्ताव (iii) के अंतर्गत प्रकार—2, जिसमें राष्ट्रीय रोमिंग पर रहते हुए इनकिमंग कॉल्स के लिए टैरिफ शून्य किया गया है और राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग कॉल्स के टैरिफ में से लागत वसूल की जाएगी, पर समान रूप से लागू होगी।
- 22. एक ऐसी राष्ट्रीय रोमिंग व्यवस्था, जिसमें इनकिमंग कॉल निःशुल्क हो, में लागतों की गैर-वसूली के कारण होने वाली आय की हानि को, प्राधिकरण ने दिनांक 25.02.2013 को जारी किए गए परामर्श-पत्र में स्वीकारा था। विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत आय पर प्रभाव लगभग 1800 करोड़ रु० से 2200 करोड़ रुपए आंका गया था। इस मुद्दे का समाधान करने और सेवा प्रदाताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, राष्ट्रीय रोमिंग में रहते हुए [उपर्युक्त पैरा 4 पर सूचित दृष्टिकोण-(iii) के अंतर्गत प्रकार-1] परामर्श-पत्र में एचपीआर के एक प्रकार का भी प्रस्ताव किया गया था, जिसमें कॉल्ड पार्टी की इनकिमंग रोमिंग कॉल निःशुल्क रहेगी परंतु ऐसी कॉलों के लिए कैरिज प्रभार कॉलिंग पार्टी द्वारा अदा किया जाएगा। एचपीआर के इस प्रकार में, जब किसी राष्ट्रीय आउट-रोमर को कोई कॉल की जाती है तब, कॉलिंग पार्टी को इस घोषणा द्वारा सूचित किया जाएगा कि (1) कॉल्ड पार्टी राष्ट्रीय रोमिंग पर है; और (2) कालिंग पार्टी यदि कॉल्ड पार्टी (रोमर) से बात करने की इच्छा रखती है, तो उसे 'अतिरिक्त प्रभार' अदा करना होगा।
- 23. हितधारकों की टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक्सेस सेवा प्रदाता इस विकल्प के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि इससे नेटवर्क और आईटी प्रणालियों में व्यापक निवेश की आवश्यकता होगी। इसके लिए जटिल अंतर—ऑपरेटर समाधान तंत्रों की स्थापना करने की जरूरत होगी क्योंकि ऐसा संभव है कि टैरिफ का संग्रहण करने वाला सेवा प्रदाता वही नहीं होगा, जो एनएलडीओ को कैरिज फीस अदा करेगा। इसके अतिरिक्त, क्योंकि पहले घोषणा करने की व्यवस्था के कारण हो सकता है कि कॉलिंग पार्टी कॉल को अनिवार्य रूप से पूरा न करे, इस कारण राष्ट्रीय रोमर के लिए इनकिंमंग कॉल्स की मात्रा में कमी आ सकती है, अतः ऐसी व्यवस्था से टीएसपी की आय में कमी आ सकती है। साथ ही, प्रस्तावित पूर्व—घोषणा का परिणाम उच्च कॉल सेट—अप टाइम होगा और इसलिए उपभोक्ता संतुष्टि की गुणवत्ता कम हो जाएगी।
- 24. प्राधिकरण इस तथ्य को मानता है कि ऐसी व्यवस्था से नेटवर्क और आईटी प्रणालियों में व्यापक निवेश की आवश्यकता होगी। चूंकि यह हो सकता है कि घरेलू सेवा प्रदाता कॉल्ड पार्टी की लोकेशन से वाकिफ न हो, अतः इस प्रणाली से बिलिंग और निपटान संबंधी विवादों की संख्या बढ़ जाएगी। प्राधिकरण इस तथ्य से भी परिचित है कि वर्तमान व्यवस्था, जिसमें घरेलू सेवा क्षेत्र से विजिटेड क्षेत्र में कॉल ले जाने से हुए कार्य की अदाएगी कॉल्ड पार्टी द्वारा की जाती है, जो लंबे समय से प्रचलन में है, अतः इसमें किसी भी परिवर्तन से, व्यापक उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता होगी।
- 25. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दिए गए विश्लेषण का संक्षिप्तीकरण करते हुए, प्राधिकरण ने ऐसी व्यवस्था, जिसमें उच्च लागत और संबद्ध प्रचालन किवनाइयों के मद्देनजर कॉलिंग पार्टी को राष्ट्रीय रोमिंग हेतु भुगतान करना पड़ता है, के कार्यान्वयन का आदेश न देने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि राष्ट्रीय रोमिंग में रहते समय इनकिमंग कॉल प्रभारों को हटाना युक्तिसंगत नहीं है। तथापि, निःशुल्क राष्ट्रीय रोमिंग की दिशा में कदम उठाने के लिए एनटीपी, 2012 में घोषित उद्देश्यों से उत्पन्न उपभोक्ताओं की आशाओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने नियत प्रभारों के भुगतान की एवज में राष्ट्रीय रोमिंग में रहते हुए निःशुल्क इनकिमंग कॉल प्राप्त करने के लिए, रोमिंग सब्सक्राइबरों हेतु एक विकल्प रखा है। यह तंत्र राष्ट्रीय रोमिंग में रहते हुए, इनकिमंग प्रभार को हटाए जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए, विवाचन अवसरों के संबंध में हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करेगा। तंत्र के बारे में विस्तृत चर्चा पश्चातवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

## राष्ट्रीय रोमिंग में रहते हुए आउटगोइंग कॉल्स पर एचपीआर

26. राष्ट्रीय रोमिंग में रहते हुए आउटगोइंग कॉल्स के टैरिफ को (इसको आगे "रोम टैरिफ" कहा जाएगा) घरेलू सेवा क्षेत्र में आउटगोइंग कॉल्स टैरिफ (घरेलू टैरिफ) के समान करने के मुद्दे पर, हितधारकों ने भिन्न–भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। कुछ हितधारकों का मत है कि स्पेक्ट्रम लागत, कैपेक्स, प्रचालन लागतों यथा ऊर्जा, ईंधन, मार्ग अधिकार, लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्रों में मजदूरियों और वेतनों की लागतों में वृहद् अंतर और भिन्न–भिन्न कर ढांचों की विद्यमानता के कारण विजिटिड लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र में घरेलू टैरिफ धारणीय नहीं होगा। दूसरी ओर, कुछ हितधारकों ने यह मत भी व्यक्त किया कि ऐसी लागतों में इस प्रकार की भिन्नताएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं कि इनके कारण उपभोक्ताओं को ऐसी

व्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाले समाजार्थिक लाभों का फायदा उठाने से रोका जाए। कुछ हितधारकों, मुख्यतः क्षेत्रीय ऑपरेटरों, जिनकी अखिल भारतीय उपस्थिति नहीं है, ने बताया है कि ऐसी व्यवस्था, जिसमें घरेलू टैरिफ रोम टैरिफ के बराबर हो, उन्हें अखिल भारतीय ऑपरेटरों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से हानि पहुंचाएगी, क्योंकि उन्हें रोमिंग कनेक्टिविटी के लिए ऐसे अखिल भारतीय ऑपरेटरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। कुछ एक्सेस प्रदाताओं द्वारा उठाया गया एक संबद्ध मुद्दा, घरेलू नेटवर्क प्रदाता द्वारा विजिटिड नेटवर्क प्रदाताओं द्वारा देय, थोक रोमिंग प्रभारों के विनियमन के बारे में है।

- 27. प्राधिकरण में रोम टैरिफ के घरेलू टैरिफ के समान रखने की संभावना की ध्यानपूर्वक जांच की गई क्योंकि ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीय रोमिंग में रहते हुए आउटगोइंग कॉल्स पर एक्सेस सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रभारित प्रीमियम को संभवतः हटा सकती है। प्राधिकरण इस तथ्य को मानता है कि रोम टैरिफ को घरेलू टैरिफ के समान रखने से न केवल टैरिफ संरचना सरलीकृत होगी अपितु उपभोक्ताओं के मस्तिष्क से राष्ट्रीय रोमिंग में रहते 'बिल शॉक' से उत्पन्न भय भी समाप्त होगा। दूसरी ओर, यह व्यवस्था एक्सेस सेवा प्रदाताओं को अपने रोम टैरिफ को घरेलू टैरिफ के समान करने के लिए विवश करती है और इसके दो संभावित परिणाम हो सकते हैं:—
  - (1) 'रोम टैरिफ को घरेलू टैरिफ के समान' अनिवार्य बनाने वाली टैरिफ व्यवस्था का परिणाम गैर-रोमिंग उपभोक्ताओं की लागत पर रोमिंग उपभोक्ताओं को अनुदान देने (क्रास सब्सिडाइजेशन) होगा। यहां उल्लेखनीय है कि केवल लगभग 13 प्रतिशत उपभोक्ता ही राष्ट्रीय रोमिंग सेवा का प्रयोग करते हैं। 'घरेलू टैरिफ के समान रोम टैरिफ' का पूर्णतः क्रियान्वयन होने के कारण हो सकता है कि राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए खर्च की गई कुछ लागत, उगाही के बिना रह जाए। टीएसपी इन अवसूलीय लागतें, यदि कोई हो, को वसूलने के लिए घरेलू टैरिफ में वृद्धि कर सकते हैं।
  - (2) यह व्यवस्था, उन एक्सेस सेवा प्रदाताओं को प्रभावित कर सकती है, जिनकी अखिल भारतीय उपस्थिति नहीं है। ऐसे सेवा प्रदाता अपने उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय रोमिंग सेवा उपलब्ध करवाने के लिए विद्यमान टीएसपी पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें, उन क्षेत्रों में जहां उनकी उपस्थिति नहीं है, बाजार निर्धारित थोक रोमिंग प्रभारों को स्वीकार करना पड़ेगा। "घरेलू टैरिफ के समान रोम टैरिफ" अनिवार्य करने वाली व्यवस्था में, घरेलू टैरिफ नियत करने की उनकी लोच प्रभावित हो सकता है।
- 28. प्राधिकरण ने थोक प्रभारों के संबंध में क्षेत्रीय ऑपरेटरों की टिप्पणियों और कथनों पर विचार किया है। प्राधिकरण के ध्यान में आया है कि अभी तक थोक रोमिंग बाजार से किन्हीं चिंताजनक विपथनों की खबर नहीं आई है। इसके अतिरिक्त, थोक रोमिंग प्रभार, परामर्श—प्रक्रिया का एक भाग नहीं थे। अतः प्राधिकरण ने इस स्तर पर इस मामले पर विचार न करने का निर्णय लिया है।
- 29. प्राधिकरण का मानना है कि राष्ट्रीय रोमिंग में रहते हुए आउटगोइंग कॉल्स के लिए उस व्यवस्था में, जिसमें आउटगोइंग वॉयस कॉल्स (लोकल व एसटीडी कॉल्स) हेतु रोम टैरिफ, आउटगोइंग वॉयस कॉल्स हेतु घरेलू टैरिफ के बिलकुल समान हो, मुख्य चिंता की बात यह है कि आउटगोइंग रोमिंग कॉल्स पर अर्जित कम मार्जिन की प्रतिपूर्ति करने के लिए टीएसपी घरेलू टैरिफ को संभवतः बढ़ा सकते हैं, जिसका परिणाम घरेलू टैरिफ के द्वारा रोम टैरिफ को आर्थिक सहायता देना होगा। इस चिंता का समाधान, स्वयं—चयन के सिद्धांत की अनुमति देकर किया जा सकता है तािक रोमर अपनी जरूरतों के मुताबिक उत्तम टैरिफ प्लान का चुनाव कर सकें। ऐसी स्कीम में क्रॉस—सब्सिडी सामान्य उपभोक्ताओं की बजाए रोमिंग—जन तक सीमित होगी। ऐसी प्रणाली में, घरेलू टैरिफ नियतन में लचीलेपन की हािन के बारे में क्षेत्रीय ऑपरेटरों द्वारा व्यक्त चिंताओं का समाधान भी हो जाएगा। अतः प्राधिकरण ने सेवा क्षेत्र में पोस्ट—पेड और प्री—पेड, प्रत्येक सेवा हेतु एक टैरिफ प्लान, जिसे 'रोमिंग टैरिफ प्लान' अथवा आरटीपी' कहा जाएगा, में आउटगोइंग वॉयस कॉल्स (लोकल व साथ ही एसटीडी) के लिए घरेलू टैरिफ के समान आउटगोइंग वॉयस कॉल्स के लिए रोम टैरिफ प्रदान करने हेतु अधिदेश देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय रोमिंग हेतु आउटगोइंग वॉयस कॉल्स (लोकल एवं एसटीडी कॉल्स) और इनकिमेंग वॉयस कॉल्स हेतु निर्धारित उच्चतम टैरिफ सीमा, आरटीपी हेतु टैरिफ पर भी लागू होगी।
- 30. जैसा पूर्व में उल्लेख किया गया है, निःशुल्क इनकिमंग कॉल्स की सुविधा प्रदान करने के विशेष उपाय के रूप में, प्राधिकरण ने प्रत्येक सेवा क्षेत्र में प्रत्येक पोस्ट—पेड और प्री—पेड सेवाओं के लिए अन्य टैरिफ प्लान 'रोमिंग टैरिफ प्लान—एफआर' अथवा 'आरटीपी—एफआर' अनिवार्य करने का निर्णय भी लिया है, जो न केवल आउटगोइंग वॉयस कॉल्स (लोकल एवं एसटीडी कॉल्स) हेतु घरेलू टैरिफ के समान रोम टैरिफ प्रदान करेगा अपितु नियत प्रभारों की एवज में राष्ट्रीय रोमिंग में रहते हुए निःशुल्क इनकिमंग कॉल्स प्रदान करेगा। आरटीपी—एफआर की स्थिति में, आउटगोइंग वॉयस कॉल्स (लोकल एवं एसटीडी कॉल्स) हेतु विहित उच्चतम टैरिफ सीमा लागू होगी।

## राष्ट्रीय रोमिंग में रहते समय आउटगोइंग एसएमएस हेत् टैरिफ निर्धारण

31. राष्ट्रीय रोमिंग में रहते समय, आउटगोइंग एसएमएस हेतु टैरिफ पर हितधारकों के विचार भी आमंत्रित किए गए थे। पूर्व की व्यवस्था में, यह टैरिफ आस्थिगित (फॉर्बेरन्स) के अधीन था। पूछा गया विशिष्ट प्रश्न यह था कि क्या यह निर्धारित करना उचित होगा कि राष्ट्रीय रोमिंग में रहते समय किसी आउटगोइंग एसएमएस हेतु टैरिफ घरेलू सेवा क्षेत्र के किसी आउटगोइंग एसएमएस हेतु लागू टैरिफ से अधिक नहीं होना चाहिए।

- 32. कई एक्सेस सेवा प्रदाताओं ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि चूंकि रोमिंग उपभोक्ताओं से विजिटिड नेटवर्क कोई नियत प्रभार नहीं वसूलता है, अतः अतिरिक्त लागत यथा सिग्निलंग प्रभार को वसूलने के लिए घरेलू नेटवर्क के उपयोग प्रभार की तुलना मे यह उपयोग प्रभार अनिवार्यतः ज्यादा होगा। दूसरी ओर, कुछ हितधारकों ने बताया है कि बमुश्किल ही कोई अतिरिक्त लागत होगी, जो राष्ट्रीय रोमिंग में रहते हुए एक आउटगोइंग एसएमएस हेतु अतिरिक्त प्रभार का औचित्य सिद्ध करे और, इसलिए, राष्ट्रीय रोमिंग में रहते हुए आउटगोइंग एसएमएस हेतु टैरिफ घरेलू सेवा क्षेत्र के आउटगोइंग एसएमएस हेतु टैरिफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- 33. प्राधिकरण ने इस मुद्दे का विश्लेषण किया, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विजिटिड सेवा क्षेत्र से किसी आउटगोइंग एसएमएस के लिए किया गया कार्य, अधिक से अधिक, घरेलू सेवा क्षेत्र से किसी आउटगोइंग एसएमएस की दशा में किए गए कार्य की तुलना में केवल थोड़ा ही ज्यादा होता है। परामर्श पत्र संख्या 2/2013, दिनांक 25.02.2013 में, प्राधिकरण द्वारा घरेलू सेवा क्षेत्र में रहते समय आउटगोइंग लोकल एसएमएस और आउटगोइंग एसटीडी एसएमएस हेतु सामान्यतः प्रचितत टैरिफ के लिए क्रमशः 1 रु0 प्रति एसएमएस और 1.50 रु0 प्रति एसएमएस पर मूल्यांकन किया गया। अतः प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रोमिंग में रहते हुए क्रमशः आउटगोइंग लोकल एसएमएस 1 रु0 प्रति एसएमएस और आउटगोइंग एसटीडी एसएमएस 1.50 रु0 प्रति एसएमएस की उच्चतम टैरिफ सीमा विहित करने का निर्णय लिया है। तथािप, राष्ट्रीय रोमिंग में रहते हुए इनकिंग एसएमएस निःशुल्क रहेंगे।
- 34. प्राधिकरण ने आगे यह भी निर्णय लिया है कि वॉयस कॉल के मामलों की भांति, राष्ट्रीय रोमिंग पर रहने के दौरान, प्रत्येक सेवा क्षेत्र में, पोस्ट—पेड और प्री—पेड, दोनों सेवाओं के लिए टैरिफ प्लान 'आरटीपी' और 'आरटीपी—एफआर' में होम सेवा क्षेत्र में आउटगोइंग एसएमएस (लोकल व साथ ही साथ एसटीडी) के टैरिफ के समान, आउटगोइंग एसएमएस हेतु टैरिफ का प्रबंध करने के लिए सेवा प्रदाताओं को अधिदेशित किया जाए। राष्ट्रीय रोमिंग हेतु आउटगोइंग एसएमएस (लोकल और एसटीडी) के लिए विहित उच्चतम टैरिफ सीमा आरटीपी टैरिफ के लिए भी लागू होगी। सभी मामलों में, इनकिमेंग एसएमएस निःश्लक होंगे।

## 'आरटीपी' और 'आरटीपी-एफआर' टैरिफ प्लान का विवरण

- 35. जैसा कि पहले निर्दिष्ट किया गया है, प्राधिकरण द्वारा सेवा प्रदाताओं को अधिदेशित किया गया है कि प्रत्येक सेवा क्षेत्र में प्री—पेड और पोस्ट—पेड दोनों सेवाओं के लिए 'आरटीपी' और 'आरटीपी—एफआर' टैरिफ प्लानों की पेशकश करें। ये टैरिफ प्लान, दिनांक 07/03/2006 के दूरसंचार टैरिफ (बयालीसवां संशोधन) आदेश, 2006 में निर्धारित अधिकतम पच्चीस टैरिफ प्लान की उच्चतम सीमा के अंदर होंगे। ये टैरिफ प्लान किस रीति से कार्य करेंगे, वह नीचे वर्णित है:—
- 36. 'आरटीपी' टैरिफ प्लान में घरेलू सेवा क्षेत्र और राष्ट्रीय रोमिंग हेतु आउटगोइंग (लोकल और एसटीडी) वॉयस कॉल और आउटगोइंग (लोकल और एसटीडी) एसएमएस के लिए प्रभार एक समान होंगे और राष्ट्रीय रोमिंग हेतु आउटगोइंग(लोकल और एसटीडी कॉल) वॉयस कॉल / एसएमएस और राष्ट्रीय रोमिंग के लिए इनकिमंग वॉयस कॉल्स के लिए विहित की गई उच्चतम टैरिफ सीमा के अंदर होगा ।
- 37. 'आरटीपी-एफआर' टैरिफ प्लान में, घरेलू सेवा क्षेत्र और राष्ट्रीय रोमिंग के लिए आउटगोइंग (लोकल और एसटीडी) वॉयस कॉल और आउटगोइंग (लोकल और एसटीडी) एसएमएस हेतु एक समान प्रभार होंगे और आउटगोइंग (लोकल और एसटीडी) वॉयस कॉल्स / एसएमएस के लिए निर्धारित उच्चतम टैरिफ सीमा के अंदर होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय रोमिंग में रहते हुए इनकमिंग कॉल्स नियत प्रभार की एवज में निःशुल्क रहेंगी।
- 38. आरटीपी और आरटीपी—एफआर प्लानों के लिए ऊपर वर्णित स्कीमें सभी प्रकार की आउटगोइंग(लोकल और एसटीडी) वॉयस कॉल्स और आउटगोइंग (लोकल और एसटीडी) एसएमएस पर लागू होंगी । इसके अलावा, इन टैरिफ प्लानों के लिए किसी भी प्रकार की छूट और प्रचारक टैरिफ, घरेलू और रोम टैरिफ दोनों पर लागू होगी। प्लान विवरण को सरल करने, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने, घरेलू सेवा क्षेत्र अथवा राष्ट्रीय रोमिंग हेतु विद्यमान प्रभारों के आधार पर आउटगोइंग वॉयस कॉल्स और आउटगोइंग एसएमएस प्रभारों में अंतर नहीं किया जाएगा।
- 39. टैरिफ प्लान यथा आरटीपी और आरटीपी—एफआर की कार्यविधि का निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से दृष्टांत दिया गया है :--

'एक सेवा प्रदाता (टीएसपी–1) दो सेवा क्षेत्रों (एक्स और वाई) में एक्सेस सेवा की पेशकश करता है। टीएसपी–1, उपभोक्ताओं के लिए सेवा क्षेत्र 'एक्स' में केवल सीडीएमए पर एक्सेस सेवा, सेवा क्षेत्र 'वाई' में जीएसएम और सीडीएमए दोनों पर एक्सेस सेवा की पेशकश करता है। टीएसपी–1, सेवा क्षेत्र 'एक्स' और 'वाई' में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों टैरिफ प्लानों की पेशकश करता है।

| <del></del>  | जीएसएम    |          | सीडीएमए   |          |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------|
| सेवा क्षेत्र | पोस्ट—पेड | प्री—पेड | पोस्ट—पेड | प्री—पेड |
| एक्स         |           |          | ✓         | ✓        |
| वाई          | ✓         | ✓        | ✓         | ✓        |

40. टीएसपी–1 को प्रत्येक श्रेणी में 'आरटीपी' और 'आरटीपी–एफआर' हेतु दो अलग टैरिफ प्लानों की पेशकश करनी होगी। उदाहरणार्थ, सेवा क्षेत्र 'एक्स' में सीडीएमए (प्री–पेड) श्रेणी हेतु एक आरटीपी और आरटीपी–एफआर की पेशकश करेगा और सीडीएमए (पोस्ट–पेड) श्रेणी हेतु अलग आरटीपी और आरटीपी–एफआर की पेशकश करनी होगी।

## राष्ट्रीय रोमिंग में रहते समय वीडियो कॉल्स हेतु टैरिफ निर्धारण

- 41. परामर्श पत्र में हितधारकों से इस बिंदु पर विचार आमंत्रित किए गए थे कि क्या राष्ट्रीय रोमिंग में रहते हुए, वीडियो कॉल्स हेतु टैरिफ विहित करने की आवश्यकता है। अधिकांश हितधारकों ने राय व्यक्त की है कि वीडियों कॉल्स अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में हैं, अतः इस स्तर पर वीडियो कॉल्स हेतु टैरिफ निर्धारण इस सेवा व्यवस्था हेतु किए गए बड़े निवेशों को क्षति पहुंचाएगा, तथापि, बाजार की शक्तियां यह सुनिश्चित करेंगी कि ट्रैफिक और उपयोग को प्रेरित करने के लिए, इस सेवाओं का मूल्य अनुकुलतम हो।
- 42. प्राधिकरण इस तथ्य को मानता है कि वीडियो कॉल्स अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में होने के कारण, प्राधिकरण ने कुछ समय के लिए वीडियो कॉल्स हेतु राष्ट्रीय रोमिंग पर रहते हुए टैरिफ को आस्थगित (फॉर्बेरन्स) रखने का निर्णय लिया है।

## रोमिंग लाभ के साथ विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) और कॉम्बो वाउचर(सीवी) की अनुमति देना

- 43. टीटीओ (44वां संशोधन) 2007 के अनुसार, टीएसपी को राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं हेतु कोई मासिक एक्सेस प्रभार लगाने की अनुमित नहीं थी। परिणामस्वरूप, वे रोमिंग लाभों के साथ विशेष टैरिफ वाउचर पेशकश नहीं कर सकते थे क्योंकि एसटीवी नियत प्रभारों की एवज में टैरिफ लाभ प्रदान करते हैं। परामर्श पत्र में, हितधारकों के विचार इस पहलू पर आमंत्रित किए गए थे कि क्या इस मुद्दे पर पुनर्विचार होना चाहिए और क्या रोमिंग लाभों के साथ एसटीवी की अनुमित होनी चाहिए।
- 44. अधिकांश हितधारकों ने राष्ट्रीय रोमिंग लाभों के साथ एसटीवी और कॉम्बों वाउचरों (सीवी) की अनुमित प्रदान करने का पक्ष लिया है। उन्होंने तर्क दिया है कि ऐसे वाउचर न केवल उपभोक्ताओं की बाजार पेशकश को बढ़ाएंगे अपितु सेवा प्रदाताओं को बृहतर लचीलापन प्रदान करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि एसटीवी और सीवी राष्ट्रीय रोमिंग सेवा हेतु टैरिफ को कम करने में अहम भूमिका अदा करेंगे।
- 45. प्राधिकरण, इस तथ्य को स्वीकार करता है कि घरेलू टैरिफ के लिए एसटीवी और सीवी, उपभोक्ताओं को लचीलापन और सुविधा दोनों प्रदान करते हैं। प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रोमिंग सेवा हेतु एसटीवी और सीवी की कार्यविधि का विश्लेषण भी किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐसे वाउचर विद्यमान व्यवस्था में रोमिंग कॉल्स और एसएमएस के साथ पूर्णतः समायोजित हो जाएंगे ओर उपभोक्ताओं की अल्पाविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने में प्रणाली की क्षमता का वर्धन करेंगे। अतः प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रोमिंग सेवा हेतु एसटीवी और सीवी की पेशकश करने के लिए टीएसपी को अनुमित प्रदान करने का निर्णय लिया है।

## पुनर्विलोकन

46. टीटीओ के इस संशोधन में विहित टैरिफ व्यवस्था, एक वर्ष पश्चात् प्राधिकरण के पुनर्विलोकन के अधीन होगी । प्राधिकरण इस व्यवस्था के कार्यान्वयन और विशेषतः प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों पर इसके प्रभाव का गहन अनुवीक्षण करेगा और आवश्यक होने पर, अंतरिम अवधि में, हस्तक्षेप कर सकेगा ।

अनुबंध

## राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए वृद्धिशील लागत आंकलनों की गणना का सार

- प्राधिकरण ने दिनांक 26—10—2012 के पत्र संख्या 301—10 / 2012—ईआर द्वारा राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के संबंध में सभी वायरलैस सेवा प्रदाताओं से मार्च, 2012 को समाप्त तिमाही की उपयोग एवं आय तथा वित्तीय वर्ष 2011—12 की लागत से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र में मांगी थी। अधिकांश सेवा प्रदाताओं द्वारा विहित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत की गई। तथापि, दो सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े विसंगतियों और प्रभाजन के आधार के अभाव के कारण विश्लेषण के लिए प्रतिसंवेदी नहीं थे, अतः उन्हें विश्लेषण से बाहर रखा गया। रोमिंग की वृद्धिशील लागत का अनुमान लगाने के लिए, राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के संबंध में पूंजीगत व्यय एवं प्रचालन व्यय, दोनों की वसूली को निम्नानुसार लिया गया है:—
- 2. पूंजीगत व्यय की वसूली का अनुमान लगाने के लिए, संपत्ति पर मूल्यहास एवं नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय रोमिंग सेवा को चलाने के लिए सेवा प्रदाताओं से निम्नलिखित चार शीर्षों में पूंजीगत लागत सूचना मांगी गईं:—
  - (1) रोमिंग सेवा को चलाने के लिए बिलिंग प्रणाली में अतिरिक्त उपकरण / अनुप्रयोग ।
  - (2) कनेक्टिविटी संसाधान अर्थात् राऊटर, मॉडम आदि ।

- (3) एमएससी में अतिरिक्त अनुप्रयोग ।
- (4) राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए रोप्य अन्य लागत ।

सेवा प्रदाताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर, विश्लेषण में उपर्युक्त (1) से (2) के पूंजीगत घटकों का औसत जीवनकाल 05 वर्ष तथा उपर्युक्त (3) से (4) के पूंजीगत घटकों का औसत जीवनकाल 10 वर्ष माना गया। तद्नुसार, सीधी रेखा पद्धित के आधार पर उपर्युक्त (1) से (2) के पूंजीगत घटकों के लिए 20 प्रतिशत तथा उपर्युक्त (3) से (4) के पूंजीगत घटकों के लिए 10 प्रतिशत मूल्यहास दर ली गईं। इसके अतिरिक्त, प्रक्रिया में 15 प्रतिशत नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) लिया गया, जिसका प्रयोग प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लागत प्रक्रिया के दौरान किया गया है।

- 3. उपर्युक्त के अनुसार वार्षिक पूंजीगत व्यय की अनुमानित वसूली को, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए प्रस्तुत वार्षिक प्रचालन लागत में जोड़ा गया। राष्ट्रीय रोमिंग के कुल वार्षिक लागत निकालने के लिए, इस समग्र लागत में, 12 प्रतिशत लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम प्रभार (लाइसेंस शुल्क के लिए 8 प्रतिशत तथा स्पेक्ट्रम प्रभार के लिए 4 प्रतिशत) को भी जोड़ा गया है।
- 4. राष्ट्रीय रोमिंग के लिए वृद्धिशील लागत प्रति मिनट का अनुमान लगाने के उद्देश्य से, इस प्रकार निकाली गई वार्षिक लागत को राष्ट्रीय रोमिंग (सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वार्षिक आधार पर) को राष्ट्रीय रोमरों के द्वारा उपयोग में लाए गए कुल मिनटों से विभाजित किया गया। निम्नलिखित सारणी, विभिन्न सेवा प्रदाताओं की रोमिंग अनुमानित वृद्धिशील लागत को दर्शाती है :--

## राष्ट्रीय रोमिंग के लिए अनुमानित वृद्धिशील लागत (रुपए प्रति मिनट)

| सेवा प्रदाता   | राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के लिए वृद्धिशील लागत (रुपए प्रति मिनट) |
|----------------|---|
| जीएसएम ऑपरेटर  |   |
| ऑपरेटर-1       | 0.02  |
| ऑपरेटर-2       | 0.03  |
| ऑपरेटर-3       | 0.04  |
| ऑपरेटर-4       | 0.05  |
| ऑपरेटर-5       | 0.06  |
| ऑपरेटर—6       | 0.09  |
| ऑपरेटर-7       | 0.09  |
| ऑपरेटर-8       | 0.09  |
| ऑपरेटर-9       | 0.26  |
| ऑपरेटर—10      | 9.55  |
| सीडीएमए ऑपरेटर |   |
| ऑपरेटर—1       | 0.01  |
| ऑपरेटर—2       | 0.02  |
| ऑपरेटर—3       | 0.09  |

5. जैसा कि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि निम्नतम अनुमानित लागत 0.01 रुपए प्रति मिनट (सीडीएमए के लिए) और 0.02 रुपए प्रति मिनट (जीएसएम के लिए) है तथा उच्चतम अनुमानित लागत 9.55 रुपए प्रति मिनट है । स्पष्ट रूप से, 0.26 रुपए प्रति मिनट और 9.55 रुपए प्रति मिनट बहिर्वासी हैं। इस प्रकार लागत अनुमान 0.01 रुपए से 0.09 रुपए प्रति मिनट के दायरे में आते हैं। तद्नुसार प्राधिकरण ने वर्तमान पुनर्विलोकन प्रक्रिया में रोमिंग हेतु 0.10 रुपए प्रति मिनट की वृद्धिशील लागत पर विचार किया है ।

#### TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2013

## The Telecommunication Tariff (Fifty Fifth Amendment) Order, 2013

#### No. 3 of 2013

- **No. 301-10/2012-F & EA.**—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of Section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997(24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely:
- 1. (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Fifty Fifth Amendment) Order, 2013.
  - (2) This Order shall come into force on the 1st day of July, 2013.
- **2.** In clause 2 of the Telecommunication Tariff Order, 1999 (hereinafter referred to as the principal tariff order),
  - (a) after sub-clause (d), the following sub-clause shall be inserted, namely :
    - "da. "Combo Voucher" means a paper voucher or electronic voucher which on activation alters one or more items, for a period not exceeding ninety days, in the tariff plan of the consumer and adds monetary value to the prepaid account of the subscriber.";
  - (b) the existing sub-clause (dd) shall be numbered as sub-clause (db);
  - (c) after sub-clause (l), the following sub-clauses shall be inserted, namely :—
    - "la. "Roaming Tariff Plan" or "RTP" means a tariff plan in which the charges for outgoing voice calls and outgoing SMS, both local as well as long distance (inter-circle), shall not change with the location of the subscriber within the country.
    - lb. "Roaming Tariff Plan-FR" or "RTP-FR" means an RTP in which there is no charge for incoming voice calls while on national roaming, on payment of fixed charge, if any, as may be determined by the service provider.";
  - (d) after sub-clause (m), the following sub-clause shall be inserted, namely:
    - "ma. "Special Tariff Voucher" means a paper or electronic voucher, which on activation alters one or more items of applicable tariff in the consumer tariff plan for a period not exceeding ninety days in terms of limited or unlimited usage of voice calls, SMS or data but does not provide any monetary value."
- **3**. In clause 6 of the principal tariff order, after sub-clause (ix), the following sub-clause shall be inserted namely:—
  - "(x) Every service provider shall offer a Roaming Tariff Plan and a Roaming Tariff Plan-FR to its pre-paid and post-paid subscribers.";
- **4.** In the Schedule II to the principal tariff order under item (14), for sub-item (14.a) and entries thereto, the following sub-items and entries relating thereto shall be substituted, namely:

# Schedule-II Cellular Mobile Telecom Services (CMTS)

| ITEM   | TARIFF   |  |
|--|--|--|
| "(14.a) National Roaming   |  |  |
| (14.a.i) Fixed charge for National Roaming   | Nil provided that Special Tariff Voucher and Combo Voucher shall be permitted and in case of RTP- FR, the fixed charge shall be under forbearance. |  |
| (14.a.ii) Charge for outgoing local voice call while on national roaming   | Ceiling of Re. 1.00 per minute   |  |
| (14.a.iii) Charge for outgoing long distance (inter-circle) voice call while on national roaming                 | Ceiling of Rs. 1.50 per minute   |  |
| (14.a.iv) Charge for incoming voice call while on national roaming   | Ceiling of Re. 0.75 per minute   |  |
| (14.a.v) Charge for outgoing local Short Message<br>Services (SMS) while on national roaming                     | Ceiling of Re. 1.00 per SMS  |  |
| (14.a.vi) Charge for outgoing long distance (intercircle) Short Message Services (SMS) while on national roaming | Ceiling of Rs. 1.50 per SMS  |  |
| (14.a.vii) Charge for incoming Short Message Services (SMS) while on national roaming                            | Nil  |  |
| (14.a.viii) Surcharge while national roaming   | Nil  |  |
| (14.ab) International roaming  | Forbearance  |  |
| (14.ac) Any other item related to roaming but not falling under sub-item (14.a) and (14.ab) above                | Forbearance.".   |  |

MANISH SINHA, Advisor (F&EA)

[ADVT-III/4/Exty/142/13]

**Note.1.** — The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No.99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below:

| Amendment No.    | Notification No. and Date             |
|------------------|---------------------------------------|
| 1 <sup>st</sup>  | 301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.3.1999  |
| 2 <sup>nd</sup>  | 301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999   |
| 3 <sup>rd</sup>  | 301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999   |
| 4 <sup>th</sup>  | 301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.7.1999   |
| 5 <sup>th</sup>  | 301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.9.1999   |
| 6 <sup>th</sup>  | 301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.9.1999   |
| 7 <sup>th</sup>  | 301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.3.2000 |
| 8 <sup>th</sup>  | 301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.7.2000 |
| 9 <sup>th</sup>  |                                       |
|                  | 301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.8.2000 |
| 10 <sup>th</sup> | 306-1/99-TRAI(Econ) dated 9.11.2000   |
| 11 <sup>th</sup> | 310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.1.2001    |

| 12 <sup>th</sup> | 301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.1.2001     |  |  |
|------------------|---|--|--|
| 13 <sup>th</sup> | 303-4/TRAI-2001 dated 1.5.2001            |  |  |
| 14 <sup>th</sup> | 306-2/TRAI-2001 dated 24.5.2001           |  |  |
| 15 <sup>th</sup> | 310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.7.2001        |  |  |
| 16 <sup>th</sup> | 310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14.8.2001 |  |  |
| 17 <sup>th</sup> | 301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.1.2002     |  |  |
| 18 <sup>th</sup> | 303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.1.2002     |  |  |
| 19 <sup>th</sup> | 303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.2.2002     |  |  |
| 20 <sup>th</sup> | 312-7/2001-TRAI(Econ) 14.3.2002           |  |  |
| 21 <sup>st</sup> | 301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.6.2002     |  |  |
| 22 <sup>nd</sup> | 312-5/2002-TRAI(Eco) dated 4.7.2002       |  |  |
| 23 <sup>rd</sup> | 303/8/2002-TRAI(Econ) dated 6.9.2002      |  |  |
| 24 <sup>th</sup> | 306-2/2003-Econ dated 24.1.2003           |  |  |
| 25 <sup>th</sup> | 306-2/2003-Econ dated 12.3.2003           |  |  |
| 26 <sup>th</sup> | 306-2/2003-Econ dated 27.3.2003           |  |  |
| 27 <sup>th</sup> | 303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.4.2003     |  |  |
| 28 <sup>th</sup> | 301-51/2003-Econ dated 5.11.2003          |  |  |
| 29 <sup>th</sup> | 301-56/2003-Econ dated 3.12.2003          |  |  |
| 30 <sup>th</sup> | 301-4/2004(Econ) dated 16.1.2004          |  |  |
| 31 <sup>st</sup> | 301-2/2004-Eco dated 7.7.2004             |  |  |
| 32 <sup>nd</sup> | 301-37/2004-Eco dated 7.10.2004           |  |  |
| 33 <sup>rd</sup> | 301-31/2004-Eco dated 8.12.2004           |  |  |
| 34 <sup>th</sup> | 310-3(1)/2003-Eco dated 11.3.2005         |  |  |
| 35 <sup>th</sup> | 310-3(1)/2003-Eco dated 31.3.2005         |  |  |
| 36 <sup>th</sup> | 312-7/2003-Eco dated 21.4.2005            |  |  |
| 37 <sup>th</sup> | 312-7/2003-Eco dated 2.5.2005             |  |  |
| 38 <sup>th</sup> | 312-7/2003-Eco dated 2.6.2005             |  |  |
| 39 <sup>th</sup> | 310-3(1)/2003-Eco dated 8.9.2005          |  |  |
| 40 <sup>th</sup> | 310-3(1)/2003-Eco dated 16.9.2005         |  |  |
| 41 <sup>st</sup> | 310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005        |  |  |
| 42 <sup>nd</sup> | 301-34/2005-Eco dated 7.3.2006            |  |  |
| 43 <sup>rd</sup> | 301-2/2006-Eco dated 21.3.2006            |  |  |
| 44 <sup>th</sup> | 301-34/2006-Eco dated 24.1.2007           |  |  |
| 45 <sup>th</sup> | 301-18/2007-Eco dated 5.6.2007            |  |  |

| 46 <sup>th</sup> | 301-36/2007-Eco dated 24.1.2008   |
|------------------|-----------------------------------|
| 47 <sup>th</sup> | 301-14/2008-Eco dated 17.3.2008   |
| 48 <sup>th</sup> | 301-31/2007-Eco dated 1.9.2008    |
| 49 <sup>th</sup> | 301-25/2009-ER dated 20.11.2009   |
| 50 <sup>th</sup> | 301-24/2012-ER dated 19.4.2012    |
| 51 <sup>st</sup> | 301-26/2011-ER dated 19.4.2012    |
| 52 <sup>nd</sup> | 301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012 |
| 53 <sup>rd</sup> | 301-39/2012-F&EA dated 1.10.2012  |
| 54 <sup>th</sup> | 301-59/2012-F&EA dated 05.11.2012 |

**Note. 2.** – The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Fifty Fifth Amendment) Order, 2013.

## **Explanatory Memorandum**

## A- Introduction & Background

1. Tariffs for national roaming service were being regulated in the form of ceiling tariffs prescribed by the Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as the Authority) under clause 14(a) of Schedule II of Telecommunications Tariff Order (TTO), 1999 as amended by The Telecommunication Tariff (Forty Fourth Amendment) Order, 2007 (hereinafter referred to as the TTO (44<sup>th</sup> Amendment), 2007. The main features of the TTO (44<sup>th</sup> Amendment), 2007 were as below:

| Item                             | Tariff                        |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Monthly Access Charge            | Nil                           |
| Outgoing local charge            | Ceiling of Rs.1.40 per minute |
| Outgoing STD charge              | Ceiling of Rs.2.40 per minute |
| Incoming calls                   | Ceiling of Rs.1.75 per minute |
| Incoming SMS charge              | Nil                           |
| Other matters related to Roaming | Forbearance                   |

Table 1: Main Features of the TTO (44th Amendment), 2007

Subsequent to issue of the TTO (44th Amendment), 2007 prescribing the tariff for national roaming 2. service, the regimes governing some of the cost components which formed a part of the national roaming charges have undergone changes. Notably, the Access Deficit Charges (ADC) regime was phased out through the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Ninth Amendment) Regulations, 2008 dated the 27.03. 2008. Further, the termination charges for local and national long distance voice calls were lowered from Re. 0.30 to Re. 0.20 per minute through the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Tenth Amendment) Regulations, 2009. Also, while conducting costing exercises for determination of Interconnection Usage Charges (IUC), it was noticed that the costs of the network elements deployed by the service providers were declining steadily with the passage of time and advancement of technology. At the same time, the minutes of usage (MOU) were rising steadily implying that the current incremental cost for roaming would be lower than the incremental cost for roaming prevailing in the year 2006-07. In sum, many of the cost components of charges for the national roaming service witnessed a reduction since 2007 when ceilings for call charges for national roaming services were last prescribed. In the light of the above, it was deemed necessary to undertake an exercise to review the tariff for national roaming service. An

additional consideration for carrying out this review was to address the objective of 'Working towards One Nation - Free Roaming' stated in the National Telecom Policy (NTP)-2012.

- 3. As a prelude to the review exercise, on 26.10.2012, the wireless access service providers were asked to furnish information on usage, revenue and cost in respect of the national roaming service in a prescribed format to TRAI. Further, in order to seek inputs from stakeholders on the broad framework of tariff for the national roaming service, TRAI issued a 'Pre-consultation Paper on Review of Tariff for National Roaming' dated 20.12.2012.
- 4. Based on the comments of the stakeholders on the issues raised in the Pre-consultation paper, a comprehensive Consultation Paper (No.2/2013 dated 25.02.2013) was issued by the Authority on 'Review of Tariff for National Roaming' to seek the views of stakeholders on various aspects of tariff for the national roaming service. The stakeholders were to submit written comments by the 18<sup>th</sup> March, 2013. On the request of some stakeholders, the date for submission of written comments was extended till the 5<sup>th</sup> April, 2013. Written comments were received from Cellular Operators Association of India (COAI), ten telecom service providers (TSPs), three consumer organizations and two individuals. The comments and the counter-comments received from the stakeholders were placed on the TRAI's website— www.trai.gov.in. An Open House Discussion was held on 07.05.2013 in Delhi with the stakeholders. The issues raised in the Consultation Paper and the views of the stakeholders thereupon are examined in the succeeding paragraphs.

## B- Analysis of the Key Issues Raised in the Consultation Paper

- 5. In the Consultation Paper on 'Review of Tariff for National Roaming', the Authority had sought the views of stakeholders on the following broad alternative approaches to regulate the tariff for national roaming service:
  - (i) Tariff for national roaming service should be under forbearance.
  - (ii) The ceiling tariff for national roaming service should be reduced in line with the current costs
  - (iii) The tariff in national roaming service should be the same as that in home service area Home Price Rule (HPR) for national roaming service
    - Variant 1: The tariff for incoming calls while on national roaming should be made zero for the roamer and the costs should be recovered from the calling party.
    - Variant 2, with only incoming calls free for the roamer: The tariff for incoming calls while on national roaming should be made zero and the costs should be recovered from the tariff of outgoing calls while on national roaming.
- 6. An analysis of these alternative approaches based on comments and inputs received from stakeholders is presented below.

## Tariff for national roaming service should be under forbearance.

- 7. The majority of access service providers and one of their industry associations have favoured leaving the tariff for national roaming service under forbearance. They have argued that there is fair competition in the national roaming service in India; roaming tariffs are already well below the ceiling tariff prescribed by TRAI in 2007. They have also opined that the presence of 6-9 operators in each service area coupled with the availability of Mobile Number Portability (MNP) service provides enough impetus for competition in the marketplace. On the other hand, a few stakeholders, including one major service provider, have stated that they are not in favour of leaving the tariff for national roaming service under forbearance because there is still a substantial difference between home tariffs and roam tariffs.
- 8. As described in the Consultation Paper, the bouquet of telecom services offered to a subscriber can be classified in the following two broad categories:
  - (i) Flagship services: viz. voice calls and SMSs in the home service area
  - (ii) Also-on-offer services: viz. national roaming service, international roaming service and other value added services

An individual mobile subscriber carefully examines the tariff offered by various service providers for flagship services before choosing a particular service provider. There is intense price competition between telecom service providers (TSPs) for flagship services. As a result, the market for flagship services is highly competitive. The same is not equally true for the 'also-on-offer services' which the subscriber receives as a part of the bouquet. For also-on-offer services such as the national roaming service, the subscriber is, in a sense, tied to the TSP from whom he has taken the flagship services. This feature of subscription for 'also-on-offer services' restricts the choice available to the subscriber and his ability to move from one service provider to the other. The empirical evidence also suggests that while the tariff for flagship services has responded actively to the changes in the number of players in the wireless market, the tariff for 'also-on-offer' services has remained relatively unaffected by such changes. Service providers generally keep the tariff for national roaming at a relatively higher level than the tariff in the home service area.

- 9. Stakeholders have argued that national roaming tariffs are well below the ceilings prescribed and have reasoned, on this basis, that there is vigorous competition in the market. The Authority notes that while it is indeed true that the prevailing prices for national roaming are well below the ceilings prescribed, this feature is largely a consequence of the decline in costs and charges since the time when the ceilings were last set. This fact has been recognized as one of the main reasons for undertaking the review exercise for national roaming tariff.
- 10. Regulatory forbearance in the matter of fixing tariff for flagship services such as voice calls and SMSs in the home service area has been an important factor in the remarkable growth of Indian telecommunications over the last decade. However, an identical paradigm of regulatory forbearance for national roaming service may not necessarily yield similar results, as the markets are dissimilar and arguably the market for roaming services is less competitive. With a view to protect the interests of the consumers the Authority has decided, for the time being, not to adopt a regime of full regulatory forbearance for national roaming service as has been done in the case of mobile home tariffs.

## The ceiling tariff for national roaming service should be reduced in line with the current costs.

- 11. The tariff for national roaming service was being regulated in the form of a ceiling tariff prescribed through the TTO (44<sup>th</sup> Amendment), 2007. The following cost components were used to arrive at the ceiling tariff for various types of voice calls while on national roaming:
  - (i) Origination charge
  - (ii) Interconnection Usage Charges (IUC) viz. termination charge, carriage charge and access deficit charge (ADC)
  - (iii) Incremental cost for roaming
- 12. The Authority has estimated the incremental cost for roaming at present costs as Re. 0.10 per minute based on the information on usage and revenue in respect of national roaming service furnished by the wireless telecom service providers in the formats prescribed through TRAI's letter dated 26.10.2012. A summary of calculations of incremental cost estimates for national roaming service is placed as 'Annexure'.
  - Tariff Ceiling for Outgoing calls while on national roaming
- 13. In the exercise for calculation of ceiling tariffs for national roaming calls undertaken in 2006-07, the work done by the service provider in case of originating a call was assumed as equal to the work done for terminating a call. During the present consultation, stakeholders have argued that the origination charge is under regulatory forbearance and the cost of originating a call cannot be assumed to be equal to the cost of terminating a call as the cost of origination should contain the cost of acquisition of subscribers and other marketing costs which are not included in the cost of terminating a call.
- 14. In light of the fact that the origination charge is under forbearance, the Authority is of the view that, fixing a tariff ceiling for outgoing calls while on national roaming based on the assumptions adopted during the previous review of 2006-07 may lead to irrational results that run counter to the actual situation prevailing in the market. In the Consultation Paper no. 2/2013 dated 25.02.2013, the Authority had assessed the generally prevailing tariff for outgoing local calls and outgoing STD calls

while on national roaming at Re. 1 per minute and Rs. 1.50 per minute respectively. The Authority also noted that the ceilings prescribed through TTO (44th Amendment), 2007 were Rs. 1.40 per minute for outgoing local call and Rs. 2.40 per minute for outgoing STD call. The Authority has, therefore, decided that the ceiling tariff for outgoing local calls and outgoing STD calls while on national roaming should be brought down and fixed at the levels of the prevailing tariffs for outgoing local call and outgoing STD call while on national roaming i.e. at Re. 1.00 per minute and Rs. 1.50 per minute respectively.

Ceiling for incoming calls while on national roaming

15. As distinct from an outgoing call, in case of an incoming call while on national roaming, origination charge and termination charge are not part of cost components recoverable from the roaming subscriber. As discussed in the Consultation Paper (2/2013), in case of an incoming call to a subscriber on national roaming, the service provider has to recover from the subscriber only two cost components viz. carriage charge and incremental cost for roaming, both of which are easily determined. Taking into account the fact that a cost based ceiling on incoming calls while roaming can be reasonably estimated and given the possible disruptive consequences that removal of charges on incoming roaming calls is likely to have on telecom markets (this is discussed in detail in the analysis that follows), the Authority has decided to fix a cost based ceiling tariff for incoming calls while on national roaming. As per the Telecommunication Interconnect Usage Charge Regulation, 2003, the carriage charge has a ceiling of Re. 0.65 per minute and incremental cost for roaming has been estimated as Re. 0.10 per minute; accordingly, the Authority has fixed a ceiling of Re. 0.75 per minute for incoming call while on national roaming.

## The tariff for national roaming service should be the same as that in home service area

- 16. The third possible approach for regulating the tariff for national roaming is by prescribing a Home Price Rule (HPR) regime. The concept of HPR is closest to the policy scenario envisaged in the NTP 2012 and its declared intent to move towards a one-nation free-roaming situation across the country. As per the HPR regime proposed in the Consultation Paper, incoming calls while on national roaming would be free of charge whereas outgoing calls/ SMS while on national roaming would be charged at the same tariff as applicable for outgoing calls/ SMS made from the home service area. The feasibility of such a regime is examined below.
- 17. From the comments of the stakeholders, it clearly emerges that the majority of the access service providers are not in favor of HPR in the national roaming service. Stakeholders are strongly averse to a regime in which incoming calls while on national roaming would become free.
  - Free incoming calls while on national roaming
- 18. The fact that there are significant costs involved for TSPs in respect of incoming calls terminated on their network was already recognized in the Consultation Paper issued on 25.02.2013. In the simplest case, the removal of charges for incoming calls while roaming could result in non-recovery of charges for the work done by the TSPs in carrying the call from home service area to the visited service area. The Consultation Paper had, in fact, included an analysis of the financial impact of the HPR (including free incoming calls) with and without taking into account price elasticity of demand for national roaming. Now, based on the comments received from stakeholders, it is clear that removal of charges for incoming calls while on national roaming would create arbitrage opportunities that could lead to SIM¹ movement behaviour in the market which would have potential market distorting effects.
- 19. The following example illustrates the inherent problem. Let us take the case of a migrant worker working in a particular licensed service area, who makes frequent STD calls to his family residing in another licensed service area. If incoming calls while on national roaming become free of charge, he would have the incentive to purchase a SIM card from the licensed service area where he works and give it to his family residing in another service area. In this eventuality, the calling party (i.e. the migrant worker) would save money by paying for a local call instead of an STD call and the called party (i.e. the family of the migrant worker) would not have to pay to receive the call as the incoming calls while on national roaming would have become free of charge. As a result, many subscribers would be incentivised to move SIMs across licensed service areas in order to gain from such an arbitrage opportunity and the TSPs would lose revenue because they would not be able to recover the carriage charge and incremental cost for roaming.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>SIM is an abbreviation of Subscriber Identity Module.

- 20. The access service providers have also argued that a regime in which an incoming call becomes free of charge while on national roaming would adversely impact the health of the national long distance operators (NLDOs). On removal of incoming call charges while on national roaming, TSPs would not be able to recover and pass on to NLDOs the carriage charges that cover the latter's costs of carrying the call from home service area to the visited service area. This will have an impact on the long-term sustainability of the NLDOs.
- 21. The Authority has carefully considered the comments of the stakeholders with regard to removal of the charges for incoming roaming calls. The Authority had earlier raised the issue of direct revenue losses to TSPs due to non-recovery of costs under such a regime. While such losses may possibly be mitigated by the price elasticity of demand for national roaming services, the Authority has come to the conclusion that the more serious implication of such a step is that it could provoke consumer behavior that could lead to perverse outcomes and have unintended distortionary effects in the market for telecom services. These effects would manifest themselves in <a href="mailto:any">any</a> regime in which incoming roaming calls are made free of charge. The difficulties pointed out would, therefore, apply equally to Variant 2 under Approach (iii) described in para 4 above in which the tariff for incoming calls while on national roaming is made zero and the costs recovered from the tariff for outgoing calls while on national roaming.
- 22. The loss of revenue due to non-recovery of costs in a national roaming regime in which incoming calls are free was recognized by the Authority in the Consultation Paper issued on 25.02.2013. The impact on revenue was calculated as ranging from Rs. 1800 crores to Rs. 2200 crores under various scenarios. In order to address the issue and mitigate the adverse impact on the service providers, a variant of the HPR while on national roaming [Variant 1 under Approach (iii) listed at para 4 above] was also proposed in the Consultation Paper in which incoming roaming calls would remain free to the called party but the carriage charge for such calls would be paid by the calling party. In this variant of HPR, when a call is made to a national out roamer, the calling party would be provided with an announcement informing it that (i) the called party is on national roaming, and (ii) the calling party would have to pay 'additional charges' in case it wished to speak to the called party (the roamer).
- 23. From the comments of the stakeholders, it emerges clearly that access service providers are not in favour of this option as it would require considerable investment in network and IT systems. It would also need establishment of complex inter-operator settlement mechanisms since the service provider collecting the tariff may not be the one that pays the carriage fee to the NLDO. Besides, this regime may result in reduction of TSPs' revenue because the arrangement of pre-announcement may reduce the volume of incoming calls to the national out-roamer as the calling party may not necessarily complete the call. Further, the proposed pre-announcement may also result in high call set-up time and, therefore, reduced quality of consumer experience.
- 24. The Authority recognizes the fact that such a regime would call for a significant investment in the network and IT systems. Since the home service provider may not be aware of the location of the called party, the system may give rise to a number of billing and settlement disputes. The Authority is also mindful of the fact that the present regime in which the work done in carrying the call from the home service area to the visited service area is paid for by the called party has been in vogue for a long time and, therefore, any alteration would require significant customer education.
- 25. Summing up the analysis in the preceding paragraphs, the Authority has decided not to mandate the implementation of a system in which the calling party pays for a national roaming call in view of the high costs and operational complications involved. The Authority has also concluded that it may not be feasible to remove charges for the incoming call while on national roaming. However, in view of the expectations of consumers raised on account of the declared objective of NTP, 2012 to work towards free national roaming, the Authority is putting in place an option for roaming subscribers to avail of free incoming calls while on national roaming in lieu of payment of fixed charges. This mechanism would address the concerns raised by the stakeholders with regard to arbitrage

opportunities resulting out of removal of charge for incoming call while on national roaming. The mechanism is discussed in detail in the subsequent paragraphs.

## HPR for outgoing calls while on national roaming

- 26. On the issue of making the tariff of outgoing calls while on national roaming (hereinafter referred to as 'roam tariff') equal to the tariff for outgoing calls in the home service area (referred to as 'home tariff'), variety of views have been expressed by stakeholders. Some stakeholders have considered that home tariffs may not be sustainable in the visited licensed service area due to a wide variation in costs in such as spectrum costs, CAPEX, operational costs viz. energy, fuel, right of way (RoW), wages and salaries across licensed service areas, and prevalence of different tax structures. On the other hand, a few stakeholders have opined that such variations in costs are not significant enough to prevent the subscribers from enjoying the socio-economic benefits that would accrue from such a regime. Some stakeholders, mainly regional operators who do not have pan-India presence, have stated that a regime in which home tariffs are equal to roam tariffs will put them at a competitive disadvantage vis-a-vis pan-India operators, since they have to depend on such pan-India operators for roaming connectivity. A related issue raised by some access providers is about regulation of wholesale roaming charges payable by the home network provider to the visited network provider.
- 27. The Authority has carefully examined the possibility of keeping roam tariff equal to home tariff as such a regime can potentially remove the premium charged by the access service providers on outgoing calls while on national roaming. The Authority recognizes the fact that keeping roam tariff equal to home tariff not only simplifies the tariff structure but also removes the fear of 'bill shock' while on national roaming from the minds of the subscribers. On the other hand, this regime compels the access service providers to match their roam tariff with the home tariff and has two potential consequences:
  - (i) A tariff regime mandating 'roam tariff equal to home tariff' may result in cross subsidization of roaming subscribers at the expense of non-roaming subscribers. It is worth mentioning here that only about 13% subscribers use national roaming service. Implementation of 'roam tariff equal to home tariff' across-the-board may result in some costs incurred for the national roaming service, remaining unrecovered. TSPs may resort to increase in home tariffs to recover these unrecovered costs, if any.
  - (ii) This regime could impact the access service providers who do not have pan-India presence. Such service providers depend upon incumbent TSPs for providing national roaming service to their subscribers and, therefore, they have to face market determined wholesale roaming charges in the service areas where they do not have a presence. In a regime mandating 'roam tariff equal to home tariff', their flexibility in fixing home tariff may be impacted.
- 28. The Authority has considered the comments and statements of the regional operators relating to wholesale charges. The Authority observes that there have been no alarming deviations reported from the wholesale roaming market so far. Besides, wholesale roaming charges were not a part of the consultation process. The Authority has therefore decided not to go into the matter at this stage.
- 29. The Authority notes that for outgoing calls while on national roaming, the main concern in a regime in which the roam tariff for outgoing voice calls (local as well as STD calls) are set equal to the home tariff for outgoing voice calls, is that TSPs could potentially increase the home tariff to compensate for diminished margins earned on outgoing roaming calls, resulting in the home tariff subsidizing the roam tariff. This concern can be addressed by allowing the principle of self-selection to operate so that roamers can pick out for themselves the tariff plan that best suits their needs. The cross subsidy in such a scheme would be confined to the roaming population instead of spilling over to general subscribers. Under such a system, the concerns expressed by regional operators about loss of flexibility in home tariff fixation would also be allayed. The Authority has therefore decided to mandate the service providers to provide roam tariff for outgoing voice calls equal to home tariff for outgoing voice calls (local as well as STD calls)' in one tariff plan which shall be called 'Roaming Tariff Plan' or 'RTP', each for post-paid and pre-paid services in every service area. The ceiling tariff prescribed for outgoing voice calls (local as well as STD calls) and incoming voice calls for national roaming will apply to the tariffs for the RTP as well.

30. As indicated earlier, as a special measure to provide the facility of free incoming calls, the Authority has also decided to mandate another tariff plan 'Roaming Tariff Plan-FR' or 'RTP-FR' each for post-paid and pre-paid services in every service area which would not only provide roam tariff for outgoing voice calls equal to home tariff for outgoing voice calls (local as well as STD calls) but also free incoming calls while on national roaming in lieu of fixed charges. In the case of RTP-FR, the ceiling tariff prescribed for outgoing voice calls (local as well as STD calls) while on national roaming will apply.

## Prescription of tariff for outgoing SMS while on national roaming

- 31. Views of stakeholders had also been sought on tariff for outgoing SMS while on national roaming. In the earlier regime, this tariff was under regulatory forbearance. The specific question asked was whether it would be appropriate to prescribe that the tariff for an outgoing SMS while on national roaming should not be more than that for an outgoing SMS from home service area.
- 32. Many access service providers have argued that since the visited network is not realizing any fixed charges from the roaming subscriber, the usage charges would necessarily be higher than those in the home network in order to recover the additional cost e.g. signaling charges. On the other hand some stakeholders have stated that there is hardly any additional cost which can justify additional charges for an outgoing SMS while on national roaming and, therefore, the tariff for outgoing SMS while on national roaming should not be more than the tariff for outgoing SMS in home service area.
- 33. The Authority has analyzed the issue and has arrived at the conclusion that the work done for an outgoing SMS from the visited service area is, at best, only marginally higher than the work done in case of an outgoing SMS from the home service area. In the Consultation Paper no. 2/2013 dated 25.02.2013, the Authority had assessed the generally prevailing tariff for outgoing local SMS and outgoing STD SMS in home service area as Re. 1.00 per SMS and Rs. 1.50 per SMS respectively. The Authority has, therefore, decided to prescribe ceiling tariffs while on national roaming, of Re. 1.00 per SMS and Rs. 1.50 per SMS for outgoing local SMS and outgoing STD SMS respectively. Incoming SMS while on national roaming will, however, continue to remain free of charge.
- 34. The Authority has further decided to mandate the service providers, as in the case of outgoing voice calls, to provide tariff for outgoing SMS while on national roaming equal to tariff for outgoing SMS (local as well as STD) in home service area in the tariff plans 'RTP' and 'RTP-FR', for both post-paid and pre-paid services in every service area. The ceiling tariff prescribed for outgoing SMS (local as well as STD) for national roaming will apply to the tariffs for the 'RTP' and 'RTP-FR' as well. In all cases, incoming SMS will be free of charge.

## Description of the scheme of tariff plan 'RTP' and 'RTP-FR'

- 35. As indicated earlier, the Authority has mandated the service providers to offer a tariff plan 'RTP' and a tariff plan 'RTP-FR', for both pre-paid and post-paid services in each service area. These tariff plans shall be within the ceiling of twenty-five tariff plans prescribed through the Telecommunication Tariff (Forty Second Amendment) Order, 2006 dated 07.03.2006. How these tariff plans would operate, is described below:
- 36. In the tariff plan 'RTP', the charges for outgoing (local and STD) voice calls and outgoing (local and STD) SMS shall be uniform for home service area and national roaming and shall be within the ceiling tariff prescribed for outgoing (local and STD) voice calls/SMS and incoming voice calls for national roaming.
- 37. In the tariff plan 'RTP-FR', the charges for outgoing (local and STD) voice calls and outgoing (local and STD) SMS shall be uniform for home service area and national roaming and shall be within the ceiling tariff prescribed for outgoing (local and STD) voice calls/SMS. In addition, incoming calls while on national roaming shall be free of charge in lieu of fixed charges.
- 38. The schemes described above for the tariff plans 'RTP' and 'RTP-FR' shall apply for all varieties of outgoing (local and STD) voice calls and outgoing (local and STD) SMS. Besides, any discounted or promotional tariffs in these tariff plans shall be applied on both home and roam tariffs. In order to

simplify the presentation of the tariff plan and to aid consumer understanding, the charges for outgoing (local and STD) voice calls and outgoing (local and STD) SMS shall not be distinguished on the basis of whether these are for the home service area or for national roaming.

39. The operation of the tariff plans 'RTP' and 'RTP-FR' is illustrated with the help of the following example :

A service provider (TSP<sub>1</sub>) offers access service in two service areas (X and Y). TSP<sub>1</sub> offers access service to the subscribers on CDMA only in the service area 'X' and on both GSM and CDMA in the service area 'Y'. The TSP<sub>1</sub> offers both post-paid and pre-paid tariff plans in the service area 'X' and 'Y.

| Service Area | GSM       |          | CDMA      |          |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Scrvice Area | Post-paid | Pre-paid | Post-paid | Pre-paid |
| Х            |           |          | <b>√</b>  | ✓        |
| Y            | ✓         | ✓        | ✓         | ✓        |

40. TSP<sub>1</sub> would have to offer two separate tariff plans 'RTP' and 'RTP-FR' in each category. For example, in the service area 'X', it would offer an 'RTP' and an 'RTP-FR' for CDMA (Pre-paid) category and a separate 'RTP' and an 'RTP-FR' for CDMA (Post-paid) category.

## Prescription of tariff for video calls while on national roaming

- 41. In the Consultation Paper, stakeholder's views had also been sought on whether there is any need to prescribe tariff for video calls while on national roaming. A majority of the stakeholders have opined that video calls are at a very early stage of growth and therefore any prescription of tariff for video calls at this stage would undermine the huge investments made for provision of the service; however, market forces would ensure that these services are priced optimally to drive traffic and usage.
- 42. The Authority recognizes the fact that video calls are at a nascent stage of growth and, therefore, the Authority has decided, for the time being, to leave the tariff for video calls while on national roaming under forbearance.

#### Allowing Special Tariff Vouchers (STVs) and Combo Vouchers (CVs) with roaming benefits

- 43. As per the TTO (44<sup>th</sup> Amendment) 2007, TSPs were not allowed to charge any monthly access charge for national roaming services. As a corollary, they could not offer Special Tariff Vouchers (STVs) with roaming benefits, as STVs provide tariff benefits in lieu of fixed charges. In the Consultation Paper, stakeholders' views were solicited on whether there should be a re-think on this issue and whether STVs with roaming benefits should be allowed.
- 44. The majority of the stakeholders have favored allowing STVs and Combo Vouchers (CVs) with national roaming benefits. They have argued that such vouchers would not only boost market offerings to subscribers but also provide greater flexibility to the service providers. They have contended that STVs and CVs would play a big role in bringing down the tariff for national roaming service.
- 45. The Authority recognizes the fact that the STVs and CVs for home tariff have provided both flexibility and convenience to subscribers. The Authority has also analyzed the functionality of STVs and CVs for national roaming service and has come to the conclusion that such vouchers would blend well with the regime now being put in place for roaming calls and SMS and would enhance the capability of the system to respond to the short term needs of subscribers. The Authority has, therefore, decided to allow TSPs to offer STVs and CVs for national roaming service. There shall be no restriction on the service providers in offering STVs and CVs with combination of tariff benefits for both home service area and national roaming.

#### **Review**

46. The tariff regime, prescribed in this amendment to the TTO will be subject to review by the Authority after a year. The Authority will closely monitor the implementation of the regime and, in particular, its impact on competition and consumer interests and may intervene, if necessary, in the interim period.

**Annexure** 

## **Summary of Calculations of Incremental Cost Estimates for National Roaming Service**

- 1. The Authority, through its letter no. 301-10/2012-ER dated 26-10-2012, sought information on usage and revenue for the quarter ending March 2012 and cost for the F.Y. 2011-12 in respect of national roaming service in prescribed formats from all the wireless telecom service providers. Most of the service providers furnished information in the prescribed format. However, the data provided by two service providers was not amenable for analysis due to inconsistencies and absence of basis for apportionment and thus had to be excluded from the analysis. In order to estimate the incremental cost for roaming, recovery of both capital expenditure and operational expenditure in respect of national roaming service were taken into account as described below:
- 2. For estimating recovery of capital expenditure, depreciation on assets and return on capital employed (ROCE) were aggregated. The information on capital cost to support national roaming service was sought from the service providers in the following four sub-heads:
  - (i) Additional equipment/application in billing system to support roaming service
  - (ii) Connectivity resources e.g. routers, modems etc.
  - (iii) Additional application in the MSC
  - (iv) Other costs attributable to national roaming service

Based on the information received from the service providers, an average life of 5 years for the capital cost components at (i) & (ii) above and an average life of 10 years for the capital cost components at (iii) and (iv) above was considered in the analysis. Accordingly, annual depreciation on the basis of straight line method was taken as 20% for cost components at (ii) & (ii) above and 10% for cost components at (iii) & (iv) above. Further, an ROCE of 15% was considered in the exercise which has also been used in the recent costing exercises undertaken by the Authority.

- 3. The estimated recovery of average annual capital expenditure as above was added to the annual operating expenditure in respect of national roaming service based on the information furnished by the service providers. To this aggregate cost, license fee and spectrum charges at 12% (8% for license fee and 4% for spectrum charges) were also added to arrive at the total annualized cost for national roaming.
- 4. The total annualized cost so arrived was divided by the total minute of usage of national inroamers (annualized based on the information provided by the service providers) in order to estimate per minute incremental cost for national roaming. The following table presents the estimated incremental cost for national roaming for the various service providers:

## **Estimated Incremental Cost for National Roaming (Rs. per Minute)**

| Service Provider      | Incremental Cost for Roaming (Rs. per Minute) |  |
|-----------------------|---|--|
| GSM Service Providers |   |  |
| Service Provider-1    | 0.02  |  |
| Service Provider-2    | 0.03  |  |
| Service Provider-3    | 0.04  |  |
| Service Provider-4    | 0.05  |  |
| Service Provider-5    | 0.06  |  |
| Service Provider-6    | 0.09  |  |
| Service Provider-7    | 0.09  |  |
| Service Provider-8    | 0.09  |  |
| Service Provider-9    | 0.26  |  |
| Service Provider-10   | 9.55  |  |

| CDMA Service Providers |      |
|------------------------|------|
| Service Provider-1     | 0.01 |
| Service Provider-2     | 0.02 |
| Service Provider-3     | 0.09 |

5. As can be seen from the above table, the lowest of the cost estimates is Re. 0.01 per minute (for CDMA) and Re. 0.02 per minute (for GSM) and the highest of the cost estimates is placed at Rs. 9.55 per minute. Evidently, 0.26 per minute and Rs. 9.55 per minute are outliers. Thus the range of cost estimates falls between Re. 0.01 to Re. 0.09 per minute. Accordingly, the Authority has considered the incremental cost for roaming as Re. 0.10 per minute in the present review exercise.